

**BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI
OA NO. 453 OF 2023 (I.A. NO. 225/2024)**

IN THE MATTER OF:

RAGHUBIR SINGH GARIA

...APPLICANT

Vs.

STATE OF UTTARAKHAND ORS.

...RESPONDENTS

INDEX

Sl. No.	Particulars	Page No.
1.	Compliance report on behalf of respondent no. 3 (District Magistrate, Bageshwar) alongwith its affidavit.	
2.	ANNEXURE A: A copy of Joint Inspection report showing violation regarding dumping of overburden outside sanctioned lease area.	
3.	ANNEXURE B: A copy of order imposing penalty of Rs. 5,00,000/- by Directorate of Geology and Mining, Uttarakhand.	
4.	ANNEXURE C: A copy of Government Notification dated 16.06.2023 (basis for imposition of penalty).	
5.	ANNEXURE D: A copy of letter No. UKPCB/HO/C&M-179/2024/81 dated 24.08.2024 issued by UKPCB imposing Environmental Compensation.	
6.	ANNEXURE E: A copy of letter for recommendation of Lease Cancellation by District Magistrate, Bageshwar, dated 14.07.2025.	

7.	ANNEXURE F: A copy of letter no. UKPCB/ROH/RIT/25/1878-900 dated 26.09.2025 by Regional Officer, UKPCB.	
8.	ANNEXURE G: A copy of the Joint Inspection Report dated 26.09.2025.	
9.	ANNEXURE H: A copy of Government Letter dated 27.08.2025 regarding the instructions for Slope Stability Analysis.	
10.	ANNEXURE I: A copy of letter dated 15.10.2025 submitted before Registrar General, NGT (earlier compliance report).	
11.	ANNEXURE J: Documents relating to slope stability analysis / directions issued by authorities.	
12.	ANNEXURE K: Site photographs of the mining area	

Dated:**Filed By:**

Deepak Bora,
Counsel for the State of Uttarakhand,
17, New Lawyers Chambers,
Setalvad Block,
Supreme Court of India,
New Delhi- 110001
Mobile No. 997157898

**BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI
OA NO. 453 OF 2023 (I.A. NO. 225/2024)**



IN THE MATTER OF:

RAGHUBIR SINGH GARIA

...APPLICANT

Vs.

STATE OF UTTARAKHAND ORS.

...RESPONDENTS

**COMPLIANCE REPORT ON BEHALF OF RESPONDENT NO. 3 (DISTRICT
MAGISTRATE, BAGESHWAR)**

MOST RESPECTFULLY SHOWETH:

1. That the present Compliance Report is being filed on behalf of Respondent No. 3, i.e., the District Magistrate, Bageshwar, in due and faithful compliance with the directions issued by this Hon'ble Tribunal vide its final order and judgment dated 22.04.2025, whereby the Original Application was disposed of with specific directions requiring strict adherence by the answering Respondent, and further proceedings including listing dated 10.02.2026.
2. That vide the abovesaid judgment dated 22.04.2025, this Hon'ble Tribunal was pleased to issue the following directions to Respondent No. 3:

".....



28. In view of the above, in the present case also, we direct District Magistrate, Bageshwar to ensure that no mining activities are carried out unless the seismic study in geo-tectonic sensitive area like the one with which we are concerned in the present case is conducted by an Experts' Committee which must include Seismological experts from reputed and recognised institutions.

[Handwritten signature]

29. In the present case, such study may be conducted by a Joint Committee comprising SEIAA, a representative of UKPCB, a nominee of G.B. Pant National Institute of Himalayan Environment, Almora and any other expert which the above Committee find appropriate to be included for the purpose of the above stated study. 22

30. No mining activity shall be allowed to be carried out in the area in question unless a probability and feasibility clearance is given by the expert committee, as constituted as above.

31. The above Committee shall submit its report within three months and District Magistrate, Bageshwar thereafter shall proceed accordingly.

32. A Compliance report shall also be submitted by 30.09.2025 before Registrar General of this Tribunal by UKPCB and District Magistrate, Bageshwar. If find any further order is required, Registrar General of this Tribunal shall get the matter placed before the concerned Bench.

.....”


3. That the Respondent No. 3 has taken immediate and effective steps to ensure meticulous compliance with all the directions passed by this Hon'ble Tribunal vide its final order and judgment dated 22.04.2025.

4. That as per official records, a mining lease was originally granted in favour of Shri Anand Singh Kalakoti for an area measuring 2.81 acres (1.14 hectares) situated at Village Papon, Tehsil and District Bageshwar, vide Government Order dated 08.01.2002 for a period of 20 years, and the same was subsequently extended for a further period of 30 years vide Office Memorandum dated 03.01.2022, subject to terms and conditions.



Handwritten signature

5. That in compliance with the directions contained in paragraph 28 and 30 of the order dated 22.04.2025, it is submitted that the mining operations are completely suspended in the mining lease sanctioned in favor of Shri Anand Singh Kalakoti, S/o Shri Diwan Singh Kalakoti, R/o Village & Post Dofad, District & Tehsil Bageshwar granted for a period of 30 years in Village Papon, Tehsil and District Bageshwar by the order of UKPCB and Hon'ble High Court, Uttarakhand, Nainital.
6. That it is pertinent to submit that the Hon'ble High Court of Uttarakhand, in WP(PIL) No. 174 of 2024, vide orders dated 06.01.2025, 10.01.2025 and 17.02.2025, had directed suspension of mining activities in District Bageshwar and inspection of mining leases.
7. That in compliance with the aforesaid directions, a Pargana-level inspection committee was constituted vide order dated 18.01.2025, which upon inspection found that the leaseholder had dumped overburden outside the sanctioned lease area, including forest land and rivulet areas, and a copy of the joint inspection report is annexed herewith and marked as **ANNEXURE A**.
8. That based on the said violations, proceedings were initiated and a penalty of Rs. 5,00,000/- was recommended under the applicable Government Notification dated 16.06.2023 and subsequently imposed by the Directorate of Geology and Mining, copies whereof are annexed herewith and marked as **ANNEXURE B** and **ANNEXURE C**.
9. That the Uttarakhand Pollution Control Board (Respondent No. 4), in exercise of its statutory powers under the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 and the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981, had earlier issued directions vide letter No. UKPCB/HO/C&M-179/2024/81 dated 24.08.2024, directing immediate closure of the mining unit and imposing Environmental Compensation Rs. 10,08,000/- upon the project proponent. The answering Respondent is ensuring recovery of the said amount in accordance with



[Handwritten Signature]

law. A true copy of the said order dated 24.08.2024 is annexed herewith and marked as **ANNEXURE D**.

10. That even prior to the submission of the Joint Committee report as per the directions given in paragraph number 29 of order dated 22.04.2025, and upon consideration of preliminary findings and violations, the office of the District Magistrate, Bageshwar had already initiated action for cancellation of the mining lease granted in favour of Shri Anand Singh Kalakoti (Respondent No. 5) for an area measuring 2.81 acres (1.14 hectares) situated at Village Papon. District Mining Officer, Bageshwar submitted a report dated 18.06.2025 to District Magistrate, Bageshwar regarding the cancellation of the said mining lease and submission of mine closure plan by the mine owner. The District Magistrate, Bageshwar vide dated 14.07.2025, forwarded a recommendation to Directorate of Geology and Mining for cancellation of the said soapstone mining lease. A true copy of the said letter dated 14.07.2025 is annexed herewith and marked as **ANNEXURE E**.
11. That thereafter, the matter was referred to the State Government, which issued notice dated 19.09.2025 to the leaseholder granting an opportunity of hearing, and final decision in the matter is presently awaited.
12. That it is further submitted that the leaseholder, Shri Anand Singh Kalakoti, expired on 19.09.2025.
13. That in compliance with the directions contained in paragraph 29 and 31 of the order dated 22.04.2025; a Joint Committee was duly constituted comprising representatives from the State Environment Impact Assessment Authority (SEIAA), Uttarakhand Pollution Control Board (UKPCB), and a nominee of the G.B. Pant National Institute of Himalayan Environment, Almora. The Regional Officer, Uttarakhand Pollution Control Board, Haldwani, Nainital, vide office letter no. UKPCB/ROH/Rit/25/1878-900 dated 26.09.2025 provided a copy of the



[Handwritten Signature]

Joint Inspection Report. A true copy of the said letter dated 26.09.2025 is annexed herewith and marked as **ANNEXURE F**.

14. That the duly constituted Joint Committee carried out a detailed inspection of the soapstone mine of M/s Anand Singh Kalakoti (Respondent No. 5), situated at Village Papon, Tehsil and District Bageshwar, on 20.09.2025, and thereafter submitted its comprehensive report vide letter dated 26.09.2025, recording its findings, observations, and precautionary measures. A true copy of the Joint Inspection Report dated 26.09.2025 is annexed herewith and marked as **ANNEXURE G**.

15. That the salient findings, and precautionary measures of the Joint Committee are set out here in below:

a. It was categorically observed that no mining activity has been carried out at the site since the year 2023, and that the Consent to Operate granted to the mining unit presently stands suspended.

b. The Committee observed serious environmental concerns, including the presence of an open and unfilled mining pit wherein rainwater accumulates and subsequently overflows into the nearby drainage system, ultimately reaching the Saryu River. Such overflow carries mud and debris, thereby posing a substantial risk of downstream soil erosion and causing adverse impact on the aquatic ecosystem, particularly affecting the spawning grounds of endangered species such as the Golden Mahseer (*Tor putitora*).

c. It was further observed that the slopes surrounding the mining pit have become destabilized due to rainfall, thereby increasing the risk of landslides. Additionally, the overburden material stored in proximity to the site is also liable to slide during heavy rainfall, which may result in damage to vegetation and obstruction of natural drainage systems.



Anand

- d. The Committee noted that the mining area, including the pit and overburden dump, has been significantly invaded by invasive plant species such as Ageratina Adenophora (Crofton weed), Parthenium hysterophorus (famine weed), Xanthium strumarium (cocklebur), and Rumex hastatus, which pose a serious threat to native biodiversity as well as adjacent agricultural lands.
- e. In the light of the above finding the committee made the following precautionary measures-
- i. Effective management of evasive species is required.
 - ii. Construction of a retention wall may help in stabilizing the area.
 - iii. Filling up the mining pit is required to avoid waterlogging and future landslide/subsidence probabilities.
 - iv. Land restoration through the planting of multipurpose tree species can be promoted, and/or the area can be converted into an agricultural field by shaping the area into fields.
 - v. Land stabilizing plants basis, such as vertiver grass and bamboo species, can be planted in the landslide probe areas.
 - vi. Regular monitoring of biodiversity change is required, such as the impact of mining dust on plant photosynthetic activities and regeneration capacity etc.



16. That the answering Respondent has taken the findings suggested by the Joint Committee with utmost seriousness and has initiated stringent and effective actions to address the violations and also will ensure the long-term protection of the ecologically sensitive area.
17. That in compliance of directions issued by this Hon'ble Tribunal vide order dated November 08, 2024 in Original Application No. 78/2023

Handwritten signature

(Durga Singh Panwar vs. Rajendra Singh Dafauti & Others), the Government of Uttarakhand, Industrial Development (Mining) Section-1, vide letter bearing No. 2119/VII-A-1/2025-09(104)/2023 dated 27/08/2025, has issued necessary instructions for implementation of the said order. In furtherance of the said letter, the Directorate of Geology and Mining, Uttarakhand, Dehradun, vide communication No. 5013/M.Kh.(O)/244/Bhu.Khani.Ni.De./2025-26 dated 27/11/2025, has further issued directions concerning the conduct of Slope Stability Analysis of sanctioned mining lease areas based on in-situ rock conditions across the State. It is further submitted that, in accordance with the standards and criteria recommended by the Indian Institute of Technology (IIT) Roorkee vide its letter dated 08/08/2025, and through a duly conducted Expression of Interest (EoI) process, three specialized private firms/entities have been empanelled for undertaking such Slope Stability Analysis studies. In furtherance thereof, the District Mining Officer, Bageshwar, vide office letter No. 985/Bhu.Khani.Vi./Mining/Jan.Bage./2025-26 dated 22/01/2026, has directed all soapstone and magnesite leaseholders within the district to carry out Slope Stability Analysis of their respective sanctioned mining lease areas through the empanelled entities, to obtain review and vetting of the resultant reports from IIT Roorkee, and submit the final reports to the Directorate within the stipulated timeline. It is submitted that the said process is presently underway in District Bageshwar, and the answering Respondent is further ensuring that no mining lease is granted or renewed in geo-tectonically sensitive zones without prior scientific studies concerning seismic stability, slope stability, and ecological sustainability, to be conducted by reputed expert institutions. A true copy of the Government Letter dated 27/08/2025 is annexed herewith and marked as **ANNEXURE H**.

That in compliance with directions given in paragraph 32 of order dated 22.04.2025, the answering Respondent has also submitted a detailed compliance report before the Registrar General of this Hon'ble Tribunal vide letter No. 17/Hon'ble National Green Tribunal/2025 dated



[Handwritten signature]

15.10.2025, apprising the Hon'ble Tribunal of the actions taken, including suspension of mining activities, cancellation of lease, and recovery of environmental compensation. A true copy of the said letter is annexed herewith and marked as **ANNEXURE I**.

19. That additional supporting document including directions relating to slope stability analysis are annexed herewith and marked as **ANNEXURE J**, and site photographs are annexed herewith and marked as **ANNEXURE K**.

20. That the actions undertaken by the answering Respondent, including cancellation of the mining lease, enforcement of environmental compensation, clearly reflect a firm commitment towards environmental protection and adherence to the 'Polluter Pays' principle, and act as a deterrent against future violations.

21. That the answering Respondent has also ensured effective coordination and participation among various authorities and departments, thereby facilitating proper implementation of the directions issued by this Hon'ble Tribunal and strengthening the mechanism of environmental governance at the district level.


22. That the continuous monitoring, enforcement measures, and policy implementation undertaken by the answering Respondent demonstrate a robust and proactive approach towards ensuring compliance, accountability, and protection of the fragile Himalayan ecosystem.

23. That in view of the aforesaid facts and circumstances, it is most respectfully submitted that the answering Respondent has fully complied with the directions issued by this Hon'ble Tribunal, both in letter and in spirit, by taking timely, effective, and legally sustainable measures to address the issues raised in the present matter.

PRAYER

In view of the aforesaid facts and circumstances, it is most respectfully prayed that this Hon'ble Tribunal may be pleased to:

[Handwritten Signature]



1. Take the present Compliance Report on record;
2. Accept the compliance made by the answering Respondent as being complete and in accordance with the directions issued, and
3. Pass such other or further orders as may be deemed fit and proper in the interest of justice.

AND FOR THIS ACT OF KINDNESS, THE RESPONDENT AS IN DUTY BOUND SHALL EVER PRAY.

Dated:

Filed By:

[Signature]
District Magistrate,
Bageshwar,
Through



Deepak Bora,
Counsel for the State of Uttarakhand,
17, New Lawyers Chambers,
Setalvad Block,
Supreme Court of India,
New Delhi- 110001
Mobile No. 9971578987

AS AT/Davit/Document Presented
before me by
Shri/Smt. *Akanksha Konde*
S/o/W/o *Shri. Naveen Karm* Village *Chhoti Kote, Bageshwar*
Po *Bageshwar* Distt *Bageshwar*
Whose identified by Sr. *se/det*
Attested by me on Dated *02/04/2026*
[Signature] *02/04/2026*
Prem Singh Partha
Notary Public
Distt - Bageshwar

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI
OA NO. 453 OF 2023 (I.A. NO. 225/2024)



IN THE MATTER OF:

RAGHUBIR SINGH GARIA

...APPLICANT

Vs.

STATE OF UTTARAKHAND ORS.

...RESPONDENTS

AFFIDAVIT

I, Akanksha Konde D/O Shri Narain Ram, aged about 36 years, currently posted as District Magistrate at District Bageshwar, do hereby solemnly affirm and declare as under:

1. That the contents of the this Compliance Report from paragraphs 1 to 16 are true and correct to my knowledge and based on the official records maintained,
2. I have read and understood the contents thereof, which are true and correct to my knowledge and belief.
3. That the annexures annexed with the Compliance Report are true copies of their respective originals.

That I have not concealed any material fact from this Hon'ble Court.



Akanksha Konde
DEPONENT

VERIFICATION

Verified at 4:00 pm on this 8th day of April, 2026, that the contents of the above affidavit are true and correct to my knowledge and belief and nothing material has been concealed therefrom.

This Affidavit Document Presented before me by
Shri/Smt. Akanksha Konde
P/o Shri Narain Ram Village Lal Kotwale Bageshwar
Bageshwar Distt Bageshwar
Whose Identified by Sir. [Signature]
Attested by me on Dated 08/04/2026

Akanksha Konde
DEPONENT

Prem Singh Parihar
Prem Singh Parihar
Notary Public
Distt - Bageshwar

कार्यालय जिलाधिकारी बागेश्वर।

संख्या: 133 / तीस-खनन-मा0रा0ह0अधि0/2026 दिनांक: 21 / 01 / 2026

जिला खान अधिकारी,
बागेश्वर।

विषय: मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा मूल आवेदन सं0: 453/2023 रघुवीर सिंह गड़िया बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य में दिनांक: 09.12.2025 को पारित आदेश के सम्बन्ध में।

कृपया उपर्युक्त विषयक कन्सलटैन्ट (ज्यूडिशियल), मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के पत्र दिनांक: 19.12.2025 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जिसके अन्तर्गत मा0 अधिकरण में योजित मूल आवेदन संख्या: 453/2023 रघुवीर सिंह गड़िया बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में मा0 अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 09.12.2025 के अनुपालन में कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया है। पारित आदेश के प्रस्तर संख्या: 07, 08 एवं 09 का अंश निम्नवत है:-

7. Notice be issued to the applicant for appearance before this Tribunal and filing responses to the reports filed by UKPCB and DM, Bageshwar.
8. Notices may also be issued to the respondents, Respondent n0. 4 – UKPCB has already appeared before this Tribunal. Therefore, notices may be issued to respondents no. 1 to 3 and 5. Further compliance reports/responses may be filed by the respondents within two months.
9. List on 10.02.2026 for further hearing.”

विषयगत प्रकरण पर दिनांक: 10 फरवरी 2026 को मा0 हरित अधिकरण में अधोहस्ताक्षरी का पक्ष रखने हेतु आपको अधिकृत किया जाता है।

अतः निर्देशित किया जाता है कि आप अधोहस्ताक्षरी (विपक्षी नं0: 03) की ओर से दिनांक: 10 फरवरी 2026 को मा0 अधिकरण में पक्ष रखना सुनिश्चित करेंगे। विलम्ब की दशा में आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।

(आकंशा कोडे),

जिलाधिकारी बागेश्वर।

संख्या एवं दिनांक उक्तानुसार।

प्रतिलिपि, कन्सलटैन्ट (ज्यूडिशियल), मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली को उक्तानुसार सूचनार्थ प्रेषित।

(आकंशा कोडे),

जिलाधिकारी बागेश्वर।



[Handwritten Signature]

Compliance Report regarding the order passed on 10.02.2026 by the Hon'ble National Green Tribunal, New Delhi, in Original Application (O.A.) No. 453/2023, Shri Raghubir Singh Gadiya vs. State of Uttarakhand:

As per office records, vide Government Order No. 2424/I.D./74-Kh/2001 dated January 08, 2002, issued by the Industrial Development Section-1, Government of Uttarakhand, Dehradun, a mining lease was sanctioned in favor of Shri Anand Singh Kalakoti, S/o Shri Diwan Singh Kalakoti, R/o Village & Post Dofad, District & Tehsil Bageshwār. The lease covers an area of 2.81 acres (1.14 hectares) in Village Papon, District & Tehsil Bageshwar, for a period of 20 years. The lease deed was registered by the leaseholder in the Sub-Registrar's Office, Bageshwar, on 22.02.2002. Subsequently, the sanctioned soapstone mining lease was registered on the e-ravanna portal, and MO ID MO63022700 was issued. Thereafter, vide Office Memorandum No. 2250/VII-A-1/2021-74Kh/2001 dated January 03, 2022, the Government of Uttarakhand, Industrial Development Section-1, granted approval for the extension of the said soapstone mining lease for a further period of 30 years, subject to certain terms and conditions.

A-Direction-wise compliance:-

On April 22, 2025, the Hon'ble National Green Tribunal, New Delhi, in O.A. No. 453/2023 (Shri Raghubir Singh Gadiya vs. State of Uttarakhand), passed the following orders for the District Magistrate, Bageshwar, under Paragraph 28:

28. In view of the above. In the present case also, we direct District Magistrate, Bageshwar to ensure that no mining activities are carried out unless the seismic study in geo-tectonic sensitive area like the one with which we are concerned in the present case is conducted by an Experts' Committee which must include Seismological experts from reputed and recognized institutions.

In compliance with the aforementioned order dated 22-04-2025 passed by the Hon'ble Tribunal, the District Magistrate, Bageshwar, vide letter no. 17/Thirty-Mining-Hon. N.G.T./2025 dated 15-10-2025, has already submitted a detailed report along with necessary enclosures to the Hon'ble Tribunal, clarifying the complete factual status of the matter (**Enclosure 01**). Following the above order, the Regional Officer, Uttarakhand Pollution Control Board, Haldwani, Nainital, vide office letter no. UKPCB/ROH/Ret/25/1878-900 dated 26.09.2025 provided a copy of the Joint Inspection Report dated 20.09.2025 of the site in question, conducted in the presence of departmental officers from: Uttarakhand Pollution Control Board, Dehradun, State Level Environment Impact Assessment Authority (SEIAA), Uttarakhand and G.B. Pant



Handwritten signature

Attested by me on Dated...
Shri/Smt. Akanksha Konde
No. 10/110 Shri. Narain Ram Village Talabara
Po. Bageshwar Distt. Bageshwar Bageshwar
Whose Identified by Sir. sekar
Attested by me on Dated...
Prem Singh Parihar
Notary Public
Distt - Bageshwar

National Institute of Himalayan Environment, Almora. The conclusion of the said report is as follows:

Conclusion:

Mining has provided a livelihood option to the locals residing in the far fringe areas of the border district: the closure has impacted their livelihood to some extent. As per the residents adjacent to the mining area, the mining closure is causing a delay in getting the proposed compensation (house) from the mine owner. Thus, there is a need to create a win-win situation, ensuring sustainable and wise use of resources, and protecting native biodiversity and the environment. Soapstone mining has not been carried out in the area since the year-2023 and the permission/ consent issued to the mining unit in question is currently suspended. It has been recommended to cancel the mining lease. Further the industrial Dept Section-1 of the govt. of Uttarakhand letter no. 2199/vii-A-II, 2025-09 dated 27.08.2025 guideline has been laid down including District Bageshwar for studying the impact of mine lease based on in-situ to rocks on ecological stability of Geo tectonics Zone, Seismic Stability Micro Earthquake Monitoring, Monitoring of ground deformation caused by the mining activity of slope subsidence and slope stability analysis. As per above, the joint report submitted for necessary action please. (Copy of the report is enclosed as Enclosure 02)

- Furthermore, the Directorate of Geology and Mining, Uttarakhand, Dehradun, vide letter No. 5013/M.Kh.(O)/244/Bhu.Khani.Ni.De./2025-26 dated November 27, 2025, through the Government of Uttarakhand, Industrial Development (Mining) Section-1 letter No. 2119/VII-A-1/2025-09(104)/2023 dated August 27, 2025, has issued instructions in compliance with the order dated November 8, 2024, passed by the Hon'ble National Green Tribunal (NGT) in Original Application No. 78/2023 (Durga Singh Panwar vs. Rajendra Singh Dafauti & Others). These instructions pertain to the Slope Stability Analysis of sanctioned mining lease areas based on in-situ rocks within the state. In accordance with the standards and criteria suggested by the Indian Institute of Technology (IIT) Roorkee in its letter dated August 8, 2025, and through an Expression of Interest (EoI) process, three private firms/companies/entities specializing in Slope Stability Analysis have been selected and empaneled to conduct the study. In compliance with the above, the District Mining Officer, Bageshwar, vide office letter No. 985/Bhu.Khani.Vi./Mining/Jan.Bage./2025-26 dated January 22, 2026, has directed all leaseholders Soapstone/Magnesite in Bageshwar district to complete the Slope Stability Analysis of their respective sanctioned mining lease areas through the empaneled companies, and get the resulting study report reviewed and vetted by IIT Roorkee. Submit the final report to the Directorate within the



prescribed timeline (**Enclosure 03**). Currently, the proceedings for the said analysis are underway in the Bageshwar district.

(B) Action Taken:-

- In addition to the above, it is informed that the Hon'ble High Court of Uttarakhand, Nainital had suspended mining in District Bageshwar, Uttarakhand vide its orders dated 06.01.2025, 10.01.2025, and 17.02.2025 passed in WPPIL No. 174/2024 and issued directions for inspection of Mines situated in Bageshwar.
- In compliance with the orders passed in the aforementioned WPPIL, the District Magistrate, vide Office Order No. 237/Thirty-Mining-So.Insp./2025 dated 18.01.2025, constituted a Pargana-level committee to inspect all soapstone mining leases in the district. This committee inspected the soapstone mining lease sanctioned over an area of 1.14 hectares in Village Chaura/Papo, Tehsil and District Bageshwar, held by Shri Anand Singh Kalakoti, son of Shri Diwan Singh. During the inspection, it was found that the leaseholder had dumped overburden/debris outside the sanctioned mining area onto Khasra Nos. 306, 601, 602, 603 (recorded under Van Panchayat) and Khasra No. 606 (a rivulet recorded under the State Government) (**Enclosure 04**). Consequently, vide the office letter of District Mines Officer, Bageshwar dated on 02.06.2025, a report was sent to the Directorate of Geology and Mining, Uttarakhand, Dehradun, to impose a penalty of ₹5.00 Lakh (Rupees Five Lakh only) under Chapter 05, Section 50(12) of the Uttarakhand Government Notification dated June 16, 2023 (**Enclosure 05**). Subsequently, the Directorate imposed the said penalty vide its letter dated 27 June 2025 (**Enclosure 06**). Following this, the District Mining Officer, vide letter dated 13.10.2025, has requested the District Magistrate, Bageshwar, to recover the imposed amount as Arrears of Land Revenue.
- Furthermore, due to the leaseholder's failure to comply with departmental instructions, various complaints received, and the risk of landslides in the mining area, the District Mining Officer, Bageshwar submitted a report to District Magistrate, Bageshwar on 18.06.2025 regarding the cancellation of this mining lease and submission of mine closure plan by the mine owner. Based on this report, the District Magistrate, Bageshwar, vide letter dated 14.07.2025, has forwarded a recommendation to the Directorate of Geology and Mining for the cancellation of the soapstone mining lease (2.81 acres / 1.14 hectares) held by Shri Anand Singh Kalakoti (**Enclosure 07**).
- The Directorate of Geology and Mining referred the matter to the Government for action on 14.08.2025. Accordingly, a notice was issued by the Government on September 19, 2025, granting the leaseholder an opportunity to present his case in a



Handwritten signature

hearing. Information regarding the final action taken by the Government against the soapstone mining lease is currently awaited.

C) Present Status:

At present, mining operations are completely suspended in the mining lease sanctioned in favor of Shri Anand Singh Kalakoti, S/o Shri Diwan Singh Kalakoti, R/o Village & Post Dofad, District & Tehsil Bageshwar in compliance of the orders of the Hon'ble Court regarding the said mining lease granted for a period of 30 years. Furthermore, it is to be informed that the leaseholder, Mr. Anand Singh Kalakoti, son of Mr. Diwan Singh Kalakoti, passed away on September 19, 2025.

(D) Supporting documents are attached with this compliance report.



Nazia Hasan

(Nazia Hasan)
District Mines Officer,
Bageshwar.

Anand

प्रेषक,

जिलाधिकारी,
बागेश्वर।

Enclosure 01

सेवा में,

रजिस्ट्रार जनरल,
मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण,
फरीदकोट हाऊस, कॉपरनिकस मार्ग,
नई दिल्ली - 110001।

संख्या: 17

/ तीस-खनन-मा0एन0जी0टी0/2025

दिनांक: 15 / 10 / 2025

विषय:

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या: 453/2023 रघुबीर सिंह गढ़िया बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, द्वारा पारित आदेश दिनांक 22.04.2025 का अनुपालन विषयक।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या: 453/2023 रघुबीर सिंह गढ़िया बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 22.04.2025 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

उक्त क्रम में अवगत कराना है कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा मूल आवेदन संख्या: 453/2023 रघुबीर सिंह गढ़िया बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में दिनांक 03.04.2024 को पारित आदेश के अनुपालन में जिला खान अधिकारी, बागेश्वर द्वारा कार्यालय नोटिस संख्या: 58/भू0खनि0वि0/जन0बागे0/नोटिस/2023-24 दिनांक: 06.05.2024 से श्री आनन्द सिंह कालाकोटी के पक्ष में स्वीकृत सोपस्टोन खनन पट्टा क्षेत्रान्तर्गत अग्रिम आदेशों तक खनन कार्य बन्द रखने हेतु निर्देशित किया गया है।

इसके अतिरिक्त सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, देहरादून के कार्यालय पत्र संख्या: UKPCB/HO/C&M-179/2024/25 दिनांक 24.08.2024 के अनुपालन में इस कार्यालय के नोटिस संख्या: 970/तीस-खनन-विविध/2024 दिनांक: 21.09.2024 से भी पट्टाधारक को खनन क्षेत्रान्तर्गत अग्रिम आदेशों तक खनन कार्य बन्द/स्थगित रखने हेतु भी निर्देशित किया गया है।

उल्लेखनीय है कि मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या: Suo Moto (PIL) No. 174 of 2024 में न्यायालय द्वारा दिनांक: 06.01.2025 एवं दिनांक 10.01.2025 को पारित आदेश से "जनपद बागेश्वर में खनन संक्रियाओं को तत्काल स्थगित/Suspend किया गया है"।

प्रकरण पर मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक: 22.04.2025 के प्रस्तर संख्या: 29 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, हल्द्वानी, नैनीताल द्वारा कार्यालय पत्र संख्या: UKPCB/ROH/रिट/25/1878-900 दिनांक: 26.09.2025 से 1. उत्तराखण्ड प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, देहरादून, 2. राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, उत्तराखण्ड एवं 3. पं0 गोविन्द बल्लभ पन्त नेशनल इन्स्टीट्यूट ऑफ हिमालयन एन्वायरन्मेण्ट, अल्मोड़ा के विभागीय अधिकारियों की उपस्थिति में दिनांक: 20.09.2025 को प्रश्नगत क्षेत्र के कृत संयुक्त निरीक्षण आख्या की प्रति उपलब्ध करायी गयी है।

कमशः--2



-2-

उक्त के अतिरिक्त अवगत कराना है कि श्री आनन्द सिंह कालाकोटी के पक्ष में ग्राम पपों क्षेत्रान्तर्गत स्वीकृत सोपस्टोन खनन पट्टे के निरस्तीकरण के सम्बन्ध में आख्या इस कार्यालय के पत्र संख्या: 571/तीस-25/खनन/2025-26 दिनांक: 14.07.2025 से महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून को प्रेषित की जा चुकी है।

प्राप्त उक्तानुसार वस्तुस्थिति / संयुक्त निरीक्षण आख्या इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि आप उक्तानुसार आख्या मा10 अधिकरण के संज्ञान में लाने का कष्ट करेंगे।
संलग्नक - यथोपरि।

भवदीय

(आशीष कुमार भटगाँई)
जिलाधिकारी बागेश्वर।

संख्या एवं दिनांक उक्तानुसार।

प्रतिलिपि, जिला खान अधिकारी बागेश्वर को उपरोक्त सूचनार्थ एवं इस निर्देश के साथ प्रेषित कि प्राप्त संयुक्त निरीक्षण आख्या दिनांक: 20 सितम्बर 2025 की प्रति अधोहस्ताक्षरी की ओर से मा10 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में दाखिल किया जाना सुनिश्चित करेंगे।

(आशीष कुमार भटगाँई)
जिलाधिकारी बागेश्वर।



[Handwritten signature]



UKPCB

Regional Office
Uttarakhand Pollution Control Board
Awas Vikas Colony, Haldwani, (Nainital)
 Ph No.- 05946-225618, 221532 Web Site-www.ueppcb.uk.gov.in

Ref: UKPCB/ROH/ AC/25/1878 - 900

Date- 26/09/25

To,

The Member Secretary,
 Uttarakhand Pollution control Board,
 Gaura Devi Paryavaran Bhawan,
 46-B, IT Park, Sahastradhara Road,
 Dehradun.

Sub: -Regarding the order passed in original application No-453/2023 Raghuveer Singh Gadiya Vs State of Uttarakhand & Ors filed in Hon'ble NGT.

Respected Sir,

Please find that in compliance with the Board Head Office Letter No- UKPCB/HO/Gen-183-713/2025/901 dated 16.06.2025 on the above subject, the site in question has been inspected on 21.09.2025 by the committee constituted to the study impact of mining operation on the Ecological & Environmental stability of the Geo-Tectonic Zones in the area in question.

Therefore the report of the joint committee on the above matter along with its attachments is respectfully requested for further necessary action.

Sincerely

Anurag Negi
 (Anurag Negi)
 Regional Officer

Copy to:

1. Member Secretary, State Level Environmental Impact Assessment Authority, Dehradun for kind information, please.
2. District Magistrate Bageshwar for kind information, please.
3. Director, G.B. Pant National Himalayan Environment Institute, Koshi Katarmal Almora for kind information, please.

Anurag Negi
 Regional Officer






Anurag Negi

Field Survey Report

APPLICATION NO. 453/2023

(I.A. No.225/2024)



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

NOTARY
P. S. PARIHAR
DISTT - BAGESHWAR
REG NO - 412
2003
(INDIA)

Joint inspection report of the committee constituted in compliance with the order dated 22.04.2021 passed in Original Application No. 453/2023 Raghuvver Singh Gadiya Vs State of Uttarakhand filed in Hon'ble National Green Tribunal, New Delhi.

Background:-

Hon'ble National Green Tribunal, New Delhi passed order on 22.04.2025 in case No.453/2023 Raghuvver Singh Gadiya Vs State of Uttarakhand & Ors. The effective portion of the order is as follows-

29 In the present case, such study may be conducted by a Joint Committee Comprising SEIAA, a representative of UKPCB, a nominee of G.B Pant National Institute of Himalayan Environment, Almora and any other expert which the above committee find appropriate to be included for the purpose of the above Stated study.

32. A compliance report shall also be submitted by 30.09.2025 before Registrar General of this Tribunal by UKPCB and District Magistrate, Bageshwar. If find any futher order is rquired, Registrar General of this Tribunal shall get the matter placed before the concerned Bench.

33. With the above directions, OA is disposed of.

34. Pending LA also stands disposed of accordingly.

35. Copy of this order be forwarded to SEIAA, Uttarakhand Director, G.B Pant National Institute of Himalayan Environment, District Magistrate, Bageshwar and UKPCB for information and compliance.

A Copy of the order passed by Hon'ble NGT is inclosed. (Annexure-01)

In accordance with the above, a field inspection of the area in question was conducted on 20.09.2025 by the members of the committee constituted by the Board Head Office Letter No. UKPCB/HO/Gen-183-713/2024/513 dated 16.06.2025. Attendance at the joint inspection as follows:- (Annexure-02)

1. Dr. Ashutosh Gautam, Member SEAC, Dehradun Uttarakhand.
2. Dr. Asecsh Pandey, Scientist-C G.B Pant National Institute of Himalayan Environment, Koshi Katarmal, Almora.
3. Harish Chandra Joshi, Asst. Scientific Officer, Uttarakhand Pollution Control Board Haldwani.

Members of the Constituted Committee Conducted a field inspection of the M/s Anand Singh Kalakoti Soapstone Mine in the village of Papon, Tehsil & Distt:-Bageshwar and the area. Based on the on-site inspection & available documents, the report is as follows:-

1. M/s Anand Singh Kalakoti Soapstone Mine is situated at the village of Papon, Tehsil & Distt:-Bageshwar & in favour of the lessee, mining lease of mineral soap stone was approved for a period of 20 years in total area of 2.81 acers i.e, 1.14 Hect. within the arca of village of Papon, Tehsil & Distt:-Bageshwar by Industrial Department Section-1, Uttarakhand Govt. Office Memorandum No-2424/Ind.Dept/74-Kha/2001 dated 08.02.2002. The saide mining lease deed was registared in sub registrar office Bageshwar on 22.02.2002, in view of the expiery of its time period on 21.02.2022, as per the provision of Uttarakhand Minor Mineral Policy-2015 (as amended form time to time) by Govt order No-2250/VII-A-1/2021-74 Kha/2001 of industrial development section-1, to Shri Anand Singh Kalakoti s/o Shri Diwan Singh Kalakoti, resident of Village-Dofar, Tehsil & Distt:-Bageshwar.further District Mining Officer Bageshwar has been sent report to the District Megistrate Bageshwar for cancellation of the said mine by giving instruction regarding closure of the pit in a scientific manner as per mining clouser plan. (Annexure-03)



Handwritten initials 'TJ'

Handwritten signature 'S. Sharma'


Handwritten signature 'Anand'

2. State level Environment Impact Assessment Authority, Uttarakhand, Indra Nagar Colony Seema Dwar Road Dehradun (Constituted by Ministry of Environment Forest and Climate Change, Govt of India, New Delhi) has been grant Environment Clearance by Letter No-E.C No.-74-01(37)/2018 dated 06.12.2019 in favour of Mr. Anand Singh Kalakoti S/o Diwan Singh Kalkoti resident of Village-Dofar, Tehsil & Distt:- Bageshwar for 5105 to 7184 Tonnes per year. Now which is suspended. (Annexure-04)
3. The approval of mining plan & progressive mine closure plan in relation to mineral production has been approved by the office memorandum No.3489/Mu.kha./Mining/65/Soapstone/Bageshwar/Bhu.Kha.Ni.ikai/2010-2011 dated 08.12.2022 of Geology & Mining unit, Directorate of Industries, Uttarakhand, Bholapani, Post-Badani, Dehradun, Subjected to various Condition/restrictions. (Annexure-05)
4. In view of environmental pollution, Head Office, Uttarakhand Pollution Control Board Letter No. Dated 22.05.2023 conditional Consent to Operate (CTO) has been issued up to 31.03.2024 to M/s Anand Singh Kalakoti S/O Diwan Singh Kalakoti resident of Village-Dofar, Tehsil & Distt:-Bageshwar. Further as per Letter No UKPCB/HO/C&M-179/2024/2025 dated 24.08.2024 Board Head Office, Dehradun directions have been issued to stop the mining work in above mentioned soapstone mining area till further order by the imposing environmental compensation of Rs. 10,08000/- (Rupees Ten Lakh Eight Thousand Only) (Annexure-6)

Assesment of the impact of the mining operation on environmental/ecology sustainability/ in the area-

The mining site is located in the Papon village of Bageshwar district. The area is nestled between agricultural lands on two sides and an Oak-Pine mixed forest on the lower side, connecting to the downstream water channel of Saryu River, and on the upper side, it is demarked by a motorable road adjoining the upper pine forest. The mining sites lack proper boundary demarcation, and a retaining wall on the down slope was also absent. Overall, the area seems biodiversity-rich, but the mining activity has led to the introduction/spread of invasive species in and around the site. The whole area, including the mining pit, overburden and connecting road, was observed to be largely invaded by the invasive species. As per the locals, the mining activities have been closed at the sites since 2023. The impact assessment of the mining site was not possible due to the data gap, as the comparison of pre-site establishment data and post mining assessment may have provided some evidence. However, a few observations are listed below.

- The mining area is under a secondary succession process, and most of the area has been covered by sparse vegetation, mostly herbaceous and shrub species, and no recruitment of tree seedlings and saplings was observed.
- Along the site, common tree species were *Quercus leucotrichophora*, *Pinus roxburghii*, *Toonacillata*, *Rhododendron arboretum*, *Myrica esculenta*, *Debregea siaedulis* etc; likewise, *Ageratina adenophora* was among the dominant shrub species, followed by *Rumex hastatus*, *Rubus ellipticus*, etc; and *Cynoglossum* sp., *Poa* sp., *Artemisia* sp., *Rubiocordifolia* were the common herbs. In the surrounding agricultural land, finger millet, soybeans, bananas, and cucurbit species were observed as major crops.
- The native biodiversity seems impacted by the mining site, and phytodiversity was largely invaded by invasive species such as *Ageratina adenophora* (commonly known as Crofton weed), *Parthenium hysterophorus* (commonly known as famine weed), *Xanthium strumarium* (commonly known as common



Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

Cocklebur and Chota dhatura), *Rumex hastatus*, etc. and can pose a threat to native biodiversity and nearby agricultural land by over competing them.

- During site visit it was observed that mine pit is still open and rain water gets accumulated. The accumulated rain water is overflowing to nearby drainage system through slopes, which is ultimately going to Saryu River. The water is carrying mud and other materials to the drainage system. This may affect the downstream soil erosion and may affect the downstream aquatic ecosystem, especially the spawning of endangered *Tor putitora* (commonly known as Golden mahseer or Himalayan mahseer).
- Slopes surrounding the mine pit also getting destabilized due to rain and may result in the land slide.
- Overburden stocked in the nearby land may also slip down to the lower part of the hilly terrain due to heavy rain fall. This may affect the nearby trees and may block the drainage system.
- The effects of mining activity on the surrounding environment from the visited mine may not be envisaged as mining activity is suspended. It is proposed that the study on the effects of mining activity on the surrounding environment may be carried out when mining operation will be started.
- It is proposed that the mine pit shall be closed with the stored overburden to avoid the incidence of land slide, water accumulation in pit and surrounding environment. Retaining wall shall also be made on the lower part of mine site before closing the mine pit to avoid the slippage of overburden.

Precautionary measures:

1. Effective management of invasive species is required.
2. Construction of a retention wall may help in stabilizing the area.
3. Filling up the mining pit is required to avoid waterlogging and future landslide/subsidence probabilities.
4. Land restoration through the planting of multipurpose tree species can be promoted, and/or the area can be converted into an agricultural field by shaping the area into fields.
5. Land stabilizing plant species, such as vetiver grass and bamboo species, can be planted in the landslide-prone areas.
6. Regular monitoring of biodiversity change is required, such as the impact of mining dust on plant photosynthetic activity and regeneration capacity etc.

Conclusion:-

Mining has provided a livelihood option to the locals residing in the far fringe areas of the border district; the closure has impacted their livelihood to some extent. As per the residents adjacent to the mining area, the mining closure is causing a delay in getting the proposed compensation (house) from the mine owner. Thus, there is a need to create a win-win situation, ensuring sustainable and wise use of resources, and protecting native biodiversity and the environment. Soapstone mining has not been carried out in the area since the year-2023 & the permission/Consent issued to the mining unit in question is currently suspended. It has been recommended to cancel the mining lease. Further the Industrial Dept Section-1 of the Govt. of Uttarakhand Letter No. 2199/VIII-A-1/2025-09 dated 27.08.2025 guideline has been laid down including District Bageshwar for studying the impact of mine lease based on In-Situ to rocks on ecological stability of Geo Tectonic Zone, Seismic Stability Micro




47


[Handwritten signature]

[Handwritten signature]


Earthquake Monitoring, Monitoring of ground deformation caused by mining activity of slope subsidence and slope stability analysis. As per above the joint report submitted for necessary action please.(Annexure-07)

Site Photographs Attached as enclosure (Annexure-08)


Asst. Scientific Officer
UKPCB Haldwani



Scientist-C
NIHE Koshi Katarmal, Almora.


Member SEAC
Dehradun Uttarakhand





भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग,
बागेश्वर।

Enclosure 03

E-Mail address:- geologistbageshwar@gmail.com

संख्या १८५ / भूखनि०वि० / खनन / जन०बाग० / 2025-26,
पट्टाधारक/खान प्रबन्धक,
समस्त सोपस्टोन/मैग्नेसाइट,
जनपद बागेश्वर।

दिनांक: २२/०१/२०२६

विषय:- राज्य अन्तर्गत स्वस्थानों (In-situ) चट्टानों पर आधारित स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्रों के Slope Stability Analysis का अध्ययन कार्य किये जाने के संबंध में

कृपया उपरोक्त विषयक निदेशालय के पत्र संख्या 5013/मु०ख० VII(i) /244/भूखनि० निदे०/2025-26, दिनांक 27 नवम्बर, 2025 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से उत्तराखण्ड शासन, औद्योगिक विकास (खनन) अनुभाग-1 के पत्र संख्या 2119/VII-A-1/2025-09(104)/2023 दिनांक 27 अगस्त, 2025 के माध्यम से मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा मूल आवेदन सं० 78/2023 दुर्गा सिंह पंवार बनाम राजेन्द्र सिंह दफौटी व अन्य में पारित आदेश दिनांक 08.11.2024 के समादर में राज्य अन्तर्गत स्वस्थानों (In-situ) चट्टानों पर आधारित स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्रों के Slope Stability Analysis के अध्ययन कार्य हेतु भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) रुड़की के पत्र दिनांक 08.08.2025 द्वारा सुझाये गये मानक व मापदण्ड को Expression of Interest के माध्यम से प्रदर्शित करते हुए Slope Stability Analysis का कार्य करने वाले निजी फर्म/कम्पनी/इकाईयों को तदनुसार उक्त मानकों/मापदण्डों के अनुसार कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में सूचीबद्ध किये जाने हेतु दिये गये निर्देशों के अनुपालन में राज्य अन्तर्गत स्वस्थानों (In-situ) चट्टानों पर आधारित स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्रों के Slope Stability Analysis के अध्ययन कार्य हेतु निम्नलिखित कम्पनियों की सूचीबद्ध (Empanelment) किया गया है:-

क्र०सं०	फर्म/कम्पनी का नाम	दूरभाष नम्बर	ई-मेल आईडी
01	Safe Mine Tech Solutions (I) Private Limited, C-635, Khaturia Colony, Bikaner, Rajasthan	76270-97188	info@safemintech.in
02	Geo Environmental Solutions 3 rd Floor, JMD Regent Arcade Mall, A-Block, DLF phase -1, Sector-28, Gurugram, Haryana, 122002	8826173376 9910046626	admin@geoes.in
03	SPA GEO TECHNOLOGIES PVT LTD, 8A Mahaluxmi Metro Tower, C2, Sector 4, Vaishali, Ghaziabad, Uttar-Pradesh, 2010	9910711900 9837721426	gangdas@spageo.co.in

उपरोक्त सूचीबद्ध (Empanelment) कम्पनियों के माध्यम से अपने पक्ष में स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्र की Slope Stability Analysis का कार्य सम्पन्न कराने उपरान्त अध्ययन आख्या को भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की से Review/Vett कराते हुए निर्धारित समयान्तर्गत निदेशालय उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

अतः उपरोक्त के क्रम में आपको निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त सूचीबद्ध (Empanelment) कम्पनियों के माध्यम से अपने पक्ष में स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्र की Slope Stability Analysis का कार्य सम्पन्न कराने उपरान्त अध्ययन आख्या को भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की से Review/Vett कराते हुए निर्धारित समयान्तर्गत निदेशालय उपलब्ध कराना सूनिश्चित करें।



संख्या १८५ / भूखनि०वि० / खनन / जन०बाग० / 2025-26, तददिनांक।
जिलाधिकारी महोदय, बागेश्वर को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

22/01/2026

[Signature]

[Signature]
नाजिया हसन
खान अधिकारी,
बागेश्वर।
o/c

[Signature]
नाजिया हसन
खान अधिकारी,
बागेश्वर।
o/c

संयुक्त निरीक्षण आख्या ✓

उपजिलाधिकारी महोदय बागेश्वर के आदेश संख्या 1355/रा०अ० -खनन जॉच /2025 दिनांक 15/4/2025 के अनुपालन में वन विभाग, खनन विभाग, पुलिस विभाग एवं राजस्व विभाग के द्वारा तहसील बागेश्वर के अन्तर्गत निर्धारित रोस्टर के अनुसार सोप स्टोन पट्टों का संयुक्त निरीक्षण किया गया। बिन्दुवार जॉच रिपोर्ट निम्न प्रकार है।

1-पट्टा धारक का नाम व स्वीकृत क्षेत्र- श्री आनन्द सिंह कालकौड़ी पुत्र दीवान सिंह ग्राम पीठ तहसील बागेश्वर

2-खनन कार्य संचालन की स्थिति- वर्ष 2024-25 में खनन कार्य नहीं किया गया है। पूर्व में खनन करने से आवासीय भवनों के निकट धूल-खालों का दुष्प्रभाव खनन क्षेत्र का मलबा गंधरे में गया है।

3- वन पंचायत की स्थिति- वन पंचायत में मलबा गया है।

4-खनन क्षेत्र का मलबा- खनन क्षेत्र का मलबा वन पंचायत व गंधरे में गया है। वन पंचायत में दर्ज ब्लैक नम्बर 306, 601, 602, 603 एवं राज्य सरकार के नाम दर्ज रोलो खसरा सं. 606 में डाला गया है।

5-खनन क्षेत्र में जलभराव की स्थिति- खनन क्षेत्र में बनी पीठों पर जल भराव हुआ है।

6-अन्य विवरण- भारतीय न्यायालय के आदेशों के क्रम में वर्तमान में खनन कार्य अन्त है।



P. S. Parihar
R.S.J.-चित्त

P. S. Parihar
25.04.2025
सर्वेक्षक

क्षेत्रीय वन्य-वन्य विभाग
बागेश्वर/अनलमोड।

P. S. Parihar
वन क्षेत्राधिकारी
धरमधर वन क्षेत्र
बागेश्वर

P. S. Parihar
MI

Sund. Dutt
25-4-2025
सहायक भू-सूचना अधिकारी
असल वन्य-वन्य विभाग
बागेश्वर

Sund. Dutt
NT(B)

Sund. Dutt

भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग,
जनपद बागेश्वर।

संख्या 236 / भू0खनि0वि0/जन0बागेश्वर0/2025-26,

दिनांक: 02-06-25

सेवा

निदेशक,
भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय,
उत्तराखण्ड "खनिज भवन" देहरादून।

विषय:- पट्टाधारक द्वारा ओवरवर्डन/मिट्ट/मलवा अपने स्वीकृत क्षेत्र से बाहर डाले जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक जिलाधिकारी, बागेश्वर के आदेश संख्या 237/तीस-खनन- सोप0 निरी0/2025 दिनांक 18.01.2025 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या 1. **Suo Moto (PIL) NO. 174 of 2024 Developing Cracks in House, fertile lands of poor villagers and drying up of drinking water sources due to land subsidence in some village of District Bageshwar Vs State of Uttarakhand & Other 2. Writ No. 202 (PIL) of 2024 Sajjan Lal Tamata Vs State of Uttarakhand & Other** पारित आदेश के अनुपालन में जनपद अन्तर्गत अवस्थित समस्त सोपरस्टोन खनन पट्टों के निरीक्षण हेतु जिलाधिकारी, महोदय की अध्यक्षता में "जनपद स्तरीय समिति" एवं परगना स्तर पर "परगना स्तरीय समिति" गठित करते हुए समिति को अपने-अपने क्षेत्रान्तर्गत अवस्थित सोपरस्टोन खनन पट्टों का गहनता से निरीक्षण कर आख्या उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये।

उक्त के क्रम में परगना स्तरीय गठित समिति द्वारा सोपरस्टोन खनन पट्टों का स्थलीय निरीक्षण कर निरीक्षण आख्या उपलब्ध करायी गयी, जिसमें कतिपय सोपरस्टोन खनन पट्टों में अपने स्वीकृत क्षेत्र से बाहर ओवरवर्डन/मलवा डाला हुआ पाया गया जिसके क्रम में "उत्तराखण्ड शासन औद्योगिक विकास अनुभाग-1 की अधिसूचना संख्या: 977/VII-A-1/2023-24(ख)/ 2007 दिनांक 16 जून, 2023 अध्याय 05 के 50(12) में अंकित नियम "स्वस्थानें चट्टानों हेतु स्वीकृत खनन पट्टों में ओवर वर्डन/मिट्टी/मलवा स्वीकृत क्षेत्र से बाहर नहीं डाला जाएगा यदि पट्टाधारक द्वारा स्वीकृत क्षेत्र से बाहर ओवर वर्डन/मलवा डाला जाता है तो सम्बन्धित पट्टाधारक पर रू0 5,00,000.00 (रू0 पांच लाख मात्र) का जुर्माना जिला खान अधिकारी की संस्तुति पर निदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय द्वारा अधिरोपित किया जाएगा के अधीन कार्यवाही करते हुए अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जा रहा है। जिन स्वीकृत सोपरस्टोन खनन पट्टाधारक/फर्म के द्वारा ओवरवर्डन/मलवा अपने स्वीकृत क्षेत्र से बाहर डाला गया, की सूची निम्नवत् है:-

क्र0सं0	सोपरस्टोन खनन पट्टाधारक/फर्म का विवरण	स्वीकृत क्षेत्र से बाहर ओवर/वर्डन/ मलवा डाले जाने का विवरण
1.	श्री आनंद सिंह कालाकोटी पुत्र दीवान सिंह, ग्राम पपो, तहसील बागेश्वर। (स्वीकृत पट्टा क्षेत्र ग्राम चौरा/पपो तह0 बागेश्वर)	वन पंचायत में दर्ज खेत नम्बर 306, 601, 602, 603 एवं राज्य सरकार के नाम दर्ज रौली खसरा नं0 606 में डाला गया है।
2.	श्री हरीश मेहता ग्राम रताईस, तहसील बागेश्वर रेनू मेहता व प्रकाश मेहता। (स्वीकृत पट्टा क्षेत्र ग्राम चौरा/झड़कोट तह0 बागेश्वर)	राज्य सरकार की भूमि रौली एवं वन पंचायत खसरा संख्या 340 एवं 174 में डाला गया है।
3.	श्री किशोर सिंह पुत्र विजय सिंह नियांसी ग्राम छड़ायल नायक तहसील हकड़ाजी जिला नैनीताल। (स्वीकृत	राज्य सरकार की भूमि रौली खेत संख्या 305 व 309 मध्ये खाता संख्या-11 में दर्ज है।

NOTA
P. S. PARIHAR
DISTT - BAGESHWAR
REG NO - 412
2003
INDIA

Handwritten signature

	पट्टा क्षेत्र ग्राम खुनौली/तल्ला सन्धुडा, तह0 बागेश्वर)	
4.	श्री मनीष नन्द किशोर अग्रवाल पुत्र श्री नन्द किशोर चर्तुभुज अग्रवाल नि0 17-चौथा पलोर, महर्षि अपार्टमेंट, सिविल अस्पताल के पीछे, शाहीबाग अहमदाबाद गुजरात (स्वीकृत पट्टा क्षेत्र ग्राम खुनौली/नायल धपोला तह0 बागेश्वर)	राज्य सरकार की भूमि रौली खेत संख्या 3013 खाता संख्या-35 में दर्ज है।

अतः उपरोक्त सोपस्टोन खनन पट्टाधारकों/फर्म के द्वारा ओवरवर्डन/मलवा अपने स्वीकृत क्षेत्र से बाहर
डाले जाने पर उत्तराखण्ड उप-खनिज (परिहार) नियमावली-2023 के नियम 50 (12) के अनुसार कार्यवाही करते हुए रू0
5.00 लाख का अर्थदण्ड अधिरोपित किये जाने हेतु संस्तुति आख्या सादर आवश्यक अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही
है।


संलग्नक:- उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(अनिल चन्द्र आर्य)
खान निरीक्षक,
कृते-खान अधिकारी,
बागेश्वर।

संख्या 236 / भू0खनि0वि0/जन0बाग0/2025-26, तददिनांक।
प्रतिलिपि:- जिलाधिकारी, महोदय बागेश्वर को सादर सूचनार्थ प्रेषित।


(अनिल चन्द्र आर्य)
खान निरीक्षक,
कृते-खान अधिकारी,
बागेश्वर।


03/6/25





388

10/7/2025

भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तराखण्ड,
"खनिज भवन" भोपालपानी, देहरादून।
Email.dir.ukdgm@gmail.com

Enclosure 06

संख्या :- /मु0ख0/65/बागे0/खनन/मू0खनि0निदे0/2010-11(2025),

दिनांक 27 जून, 2025

श्री आनन्द सिंह कालाकोटी,
पुत्र श्री दीवान सिंह,
ग्राम पर्पो, तहसील व जनपद बागेश्वर।

जिला खान अधिकारी भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग बागेश्वर के पत्र संख्या 236/मू0खनि0वि0/जन0बागे0/2024-25, दिनांक 02-06-2025 के द्वारा अवगत कराया गया है कि जिलाधिकारी, बागेश्वर के आदेश संख्या 237/तीस-खनन-सोप0 निरी0/2025 दिनांक 18.01.2025 के क्रम में मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या 1. Suo Moto (PIL) NO. 174 of 2024 Developing Cracks in House, fertile lands of poor villagers and drying up of drinking water sources due to land subsidence in some village of District Bageshwar Vs State of Uttarakhand & Other 2. Writ No. 202 (PIL) of 2024 Sajjan Lal Tamata Vs State of Uttarakhand & Other पारित आदेश के अनुपालन में जनपद अन्तर्गत अवस्थित समस्त सोपस्टोन खनन पट्टों के निरीक्षण हेतु जिलाधिकारी, महोदय की अध्यक्षता में "जनपद स्तरीय समिति" एवं परगना स्तर पर "परगना स्तरीय समिति" गठित करते हुए समिति को अपने-अपने क्षेत्रान्तर्गत अवस्थित सोपस्टोन खनन पट्टों का गहनता से निरीक्षण कर आख्या उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये।

उक्त के क्रम में गठित समिति द्वारा आपके पक्ष में जनपद व तहसील बागेश्वर के ग्राम चौरा/पर्पो के क्षेत्रान्तर्गत कुल 1.14 है0 क्षेत्रफल में स्वीकृत सोपस्टोन खनन पट्टे का स्थलीय निरीक्षण किया गया, जिसमें आपके द्वारा आपके पक्ष में स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्र से बाहर वन पंचायत में दर्ज खेत नम्बर 306, 601, 602, 603 एवं राज्य सरकार क नाम दर्ज रौली खसरा संख्या 606 में ओवर बर्डन/मलवा डाला हुआ पाया गया। जिसके क्रम में आप पर "उत्तराखण्ड शासन औद्योगिक विकास अनुभाग-1 की अधिसूचना संख्या: 977/VII-A-1/2023-24(ख)/2007 दिनांक 16 जून, 2023 अध्याय 05 के 50(12) में अंकित नियम स्वस्थाने चट्टानों हेतु स्वीकृत खनन पट्टों में ओवर बर्डन/मिट्टी/मलवा स्वीकृत क्षेत्र से बाहर नहीं डाला जाएगा यदि पट्टाधारक द्वारा स्वीकृत क्षेत्र से बाहर ओवर बर्डन/मलवा डाला जाता है तो सम्बन्धित पट्टाधारक पर रू0 5,00,000.00 (रू0 पांच लाख मात्र) का जुर्माना जिला खान अधिकारी की संस्तुति पर निदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय द्वारा अधिरोपित किया जाएगा के अधीन कार्यवाही करते हुए रू0 5.00 लाख का अर्धदण्ड अधिरोपित किये किये जाने की संस्तुति की गयी है।

जिला खान अधिकारी भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग बागेश्वर के पत्र संख्या 236/मू0खनि0वि0/जन0बागे0/2024-25, दिनांक 02-06-2025 के द्वारा निदेशालय को उपलब्ध करायी गयी संस्तुति सहित आख्या एवं गठित समिति की संयुक्त निरीक्षण आख्या के क्रम में औद्योगिक विकास अनुभाग-1, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 977/VII-A-1/2023-24 ख/2007 दिनांक 16 जून, 2023 द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड उप-खनिज (परिहार) नियमावली-2023 के अध्याय-5 के नियम 50 के उपनियम 12 के तहत आप पर रू0 5.00 लाख (रू0 पांच लाख मात्र) का जुर्माना अधिरोपित किया जाता है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्तानुसार अधिरोपित धनराशि रू0 5.00 लाख (रू0 पांच लाख मात्र) तत्काल सुसंगत विभागीय लेखाशीर्षक 0853 में जमा कराते हुए चालान की मूल प्रति जिलाधिकारी बागेश्वर/जिला खान अधिकारी, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, जनपद बागेश्वर के माध्यम से निदेशालय को उपलब्ध कराने



Handwritten signature

Handwritten signature: P. S. PARIHAR

तथा आपके द्वारा अपने खनन पट्टा क्षेत्र से बाहर वन पंचायत में दर्ज खेत नम्बर 306, 601, 602, 603 एवं राज्य सरकार क नाम दर्ज रौली खसरा संख्या 606 में डाले गये ओवर बर्डन/मलवे को एक सप्ताह के अन्तर्गत हटाना सुनिश्चित करें।

(राजपाल लेघा)
निदेशक

संख्या :- 1837/ मूख0/65/बागे0/खनन/मूखनि0निदे0/2010-11(2025), तददिनांकित।

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, बागेश्वर।

2. जिला खान अधिकारी, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, बागेश्वर को इस निर्देश के साथ प्रेषित की उक्तानुसार पट्टाधारक से रू0 5.00 लाख-अर्धदण्ड-निर्धारित-विभागीय-लेखाशीर्षक में जमा-कराकर-चालान की मूल प्रति निदेशालय को उपलब्ध कराने तथा पट्टाधारक द्वारा स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्र के बाहर डाले गये मलवे को एक सप्ताह के अन्तर्गत पट्टाधारक से हटाना सुनिश्चित करें, पट्टाधारक द्वारा निर्धारित समयान्तर्गत मलवा न हटाने की दशा में पट्टाधारक के पक्ष में स्वीकृत खनन पट्टे को निरस्त करने हेतु अग्रेत्तर कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

(Signature)
27/6/25
(राजपाल लेघा)
निदेशक



(Signature)

भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग,
बागेश्वर।

ई-मेल: geologistbageshwar@gmail.com

संख्या 399 / भू0खनि0वि0/जन0बागे0/ नोटिस /2025-26,

दिनांक: 22/07/2025

श्री आनन्द सिंह कालाकोटी,
पुत्र श्री दीवान सिंह,
ग्राम पपों, तहसील व जनपद बागेश्वर।

विषय:- जनपद व तहसील बागेश्वर के ग्राम चौरा/पपों के क्षेत्रान्तर्गत कुल 1.14 है0 क्षेत्रफल में स्वीकृत सोपस्टोन खनन पट्टे के सम्बन्ध में।

अवगत कराना है कि निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून के कार्यालय आदेश 1837/मु0ख0/65/बागे0/खनन/भू0खनि0निदे0/2010-11(2025), दिनांक 27 जून, 2025 के माध्यम से आपके पक्ष में स्वीकृत खनिज सोपस्टोन पट्टा क्षेत्रान्तर्गत खनन कार्य से निकले मलवे को अपने स्वीकृत खनन क्षेत्र से बाहर वन पंचायत में दर्ज खेत नम्बर 306, 601, 602, 603 एवं राज्य सरकार के नाम दर्ज रौली खसरा संख्या 606 में ओवर बर्डन/मलवा डाला हुआ पाया गया के दृष्टिगत उत्तराखण्ड उप-खनिज (परिहार) नियमावली-2023 के अध्याय-5 के नियम 50 के उपनियम 12 के प्राविधानानुसार आप पर रू0 5.00 लाख (रू0 पांच लाख मात्र) का जुर्माना अधिरोपित किया गया है तथा आपके द्वारा खनन क्षेत्र से बाहर वन पंचायत में दर्ज खेत नम्बर 306, 601, 602, 603 एवं राज्य सरकार के नाम दर्ज रौली खसरा संख्या 606 में ओवर बर्डन/मलवे को एक सप्ताह के अन्तर्गत हटाये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

अतः उक्त के अनुपालन में आपको निर्देशित किया जाता है कि आप पर अधिरोपित धनराशि 5.00 लाख (रू0 पांच लाख मात्र) तत्काल सुसंगत विभागीय लेखाशीर्षक 0853 में जमा कराते हुए चालान की मूल प्रति जिलाधिकारी कार्यालय तथा इस कार्यालय को उपलब्ध कराते हुए तथा आपके पक्ष में स्वीकृत खनन क्षेत्र से बाहर वन पंचायत में दर्ज खेत नम्बर 306, 601, 602, 603 एवं राज्य सरकार के नाम दर्ज रौली खसरा संख्या 606 में ओवर बर्डन/मलवे को मा0 न्यायालय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड नैनीताल द्वारा पारित आदेश के अधीन रहते हुये निर्धारित समयावधि में हटाना सुनिश्चित करें, अन्यथा की स्थिति में आपके पक्ष में स्वीकृत खनन पट्टे को निरस्त करने हेतु अग्रेत्तर कार्यवाही कर दी जायेगी।


भवदीया,
Nava Hasan
(नाजिया हसन)
खान अधिकारी,
बागेश्वर।
o/c

संख्या / भू0खनि0वि0/जन0बागे0/ नोटिस /2025-26, तददिनांक।

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ हेतु प्रेषित:-

1. जिलाधिकारी, महोदय बागेश्वर।
2. निदेशक, महोदय भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तराखण्ड "खनिज भवन" भोपालपानी, देहरादून।

Nava Hasan
खान अधिकारी,
बागेश्वर।
o/c



Collectorate Bageshwar
RL RV696579848 IN, ITR No
04/09/2025 12:33:50, Cou
To: ANAND SINGH MALAKOTI
PAPON, BAGESHWAR, 263604
From: BRUNATAI AISHAN KHANIKARM
BAGESHWAR, BAGESHWAR, 263642
Sms Amt: 22.00
W: 15 (Actual)
P.Mode: Cash, Prepaid: 26 (PS)
PDR.No: www.indiapost.gov.in

o/c

प्रेषक,

जिलाधिकारी,
बागेश्वर।

सेवा में,

महानिदेशक,
भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय,
उत्तराखण्ड,
खनिज भवन देहरादून।

संख्या-57L/तीस-25/खनन/2025-26

दिनांक 14.07.2025

विषय-

श्री आनन्द सिंह कालाकोटी पुत्र श्री दिवान सिंह कालाकोटी निवासी ग्राम व पोस्ट दोफाड तहसील व जनपद बागेश्वर के पक्ष में जनपद व तहसील बागेश्वर के ग्राम पंचों के क्षेत्रान्तर्गत 2.81 एकड़ अर्थात् 1.14 है० भूमि पर स्वीकृत सोपस्टोन खनन पट्टे के निरस्तीकरण के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक जिला खान अधिकारी, जिला बागेश्वर के कार्यालय पत्र संख्या-293/भू०ख०नि०वि०/जन०बागे०/2025-26 दिनांक-18.06.2025 जो इस कार्यालय को सम्बोधित एवं आपके कार्यालय को पृष्ठांकित है, का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जिसके द्वारा श्री आनन्द सिंह कालाकोटी पुत्र श्री दिवान सिंह कालाकोटी निवासी ग्राम व पोस्ट दोफाड, तहसील व जनपद बागेश्वर के ग्राम पंचों के क्षेत्रान्तर्गत 2.81 एकड़ अर्थात् 1.14 है० भूमि में 30 वर्ष की अवधि हेतु स्वीकृत सोपस्टोन खनन पट्टे को माईन क्लोजर प्लान के अनुसार वैज्ञानिक विधि से पिट बंद करने तथा स्वीकृत सोपस्टोन खनन पट्टे के निरस्तीकरण हेतु विस्तृत आख्या प्रेषित की गयी है।

अतः प्राप्त पत्र की प्रति मूल में संलग्न कर इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि विषयगत प्रकरण पर अपने स्तर से आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करेंगे।
संलग्न- यथोक्त।

भवदीय,

(आशीष कुमार भटगाँई)
जिलाधिकारी, बागेश्वर।



Handwritten signature

23 JUN 2025

E-32497

OC/MC
14
+ DC 23/064869
24-8-25भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग,
बागेश्वर।

E-mail address: geologistbageshwar@gmail.com

संख्या 293 / भू0खनि0वि0/जन0वागेश्वर0/2025-26,

दिनांक: 18-06-2025

सेवा में,

✓ जिलाधिकारी,
बागेश्वर।

विषय:- श्री आनन्द सिंह कालाकोटी पुत्र श्री दिवान सिंह कालाकोटी निवासी ग्राम व पोस्ट दोफाड तहसील व जनपद बागेश्वर के पक्ष में जनपद व तहसील बागेश्वर के ग्राम पंचों के क्षेत्रान्तर्गत 2.81 एकड़ अर्थात् 1.14 है0 भूमि पर स्वीकृत सोपस्टोन खनन पट्टे के निरस्तीकरण के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अवगत कराना है कि कार्यालय अभिलेखानुसार औद्योगिक विकास अनुभाग-1, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून के शासनादेश संख्या: 2424/औ0वि0/74-ख/2001; दिनांक 08 जनवरी, 2002 के द्वारा श्री आनन्द सिंह कालाकोटी पुत्र श्री दिवान सिंह कालाकोटी निवासी ग्राम व पोस्ट दोफाड, जनपद व तहसील बागेश्वर के पक्ष में जनपद व तहसील बागेश्वर के ग्राम पंचों के क्षेत्रान्तर्गत 2.81 एकड़ अर्थात् 1.14 है0 क्षेत्रफल में 20 वर्ष की अवधि हेतु खनन पट्टा स्वीकृत किया गया जिसका पंजीकरण पट्टाधारक द्वारा उपनिबन्धक कार्यालय बागेश्वर में दिनांक 22.02.2002 को किया गया। तदुपरान्त स्वीकृत सोपस्टोन खनन पट्टे को ई-रवन्ना पोर्टल पर पंजीकृत करते हुए एम0ओ आईडी. MO63022700 निर्गत की गयी। तत्पश्चात् उत्तराखण्ड शासन, औद्योगिक विकास अनुभाग-1, देहरादून के कार्यालय ज्ञाप संख्या: 2250/VII-A-1/2021-74ख/2001, दिनांक 03 जनवरी, 2022 के द्वारा पट्टाधारक श्री आनन्द सिंह कालाकोटी उपरोक्त के पक्ष में स्वीकृत खनिज सोपस्टोन के खनन पट्टे को आगामी 30 वर्षों की अवधि तक कतिपय शर्तों/प्रतिबंधों के अधीन विस्तारीकरण किये जाने की स्वीकृति प्रदान गयी।

वर्तमान में मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल द्वारा रिट याचिका संख्या: WPPIL 174/2024 में पारित आदेश दिनांक 06.01.2025 एवं दिनांक 10.01.2025 के अनुपालन में जिलाधिकारी महोदय के कार्यालय आदेश संख्या: 237-दिनांक 18.01.2025 से गठित "परगना स्तरीय समिति" द्वारा समस्त खनन पट्टों की जांच के क्रम में उपजिलाधिकारी, बागेश्वर के आदेश संख्या 1355/रा0अ0-खनन जांच/2025 दिनांक 15.04.2025 से वन विभाग, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग बागेश्वर एवं राजस्व विभाग के द्वारा तहसील बागेश्वर के अन्तर्गत निर्धारित रोस्टर के अनुसार उक्त सोपस्टोन खनन पट्टे का संयुक्त निरीक्षण किया गया जिसकी विन्दुवार जांच आख्या निम्न प्रकार है:-

1. पट्टाधारक का नाम व स्वीकृत क्षेत्र- श्री आनन्द सिंह कालाकोटी पुत्र श्री दिवान सिंह ग्राम पंचों तहसील बागेश्वर।
2. खनन कार्य संचालन की स्थिति- वर्ष 2024-25 में खनन कार्य नहीं किया गया है। पूर्व में खनन करने से आवासीय भवनों के निकट भूस्खलन हुआ है खनन क्षेत्र का मलवा गधेरे में गया है।
3. वन पंचायत की स्थिति- वन पंचायत में मलवा गया है।
4. खनन क्षेत्र का मलवा- खनन क्षेत्र का मलवा वन पंचायत व गधेरे में गया है। वन पंचायत में दर्ज खेत नम्बर 306, 601, 602, 603, एवं राज्य सरकार के नाम दर्ज रौली खसरा संख्या 606 में डाला गया है।

खनन क्षेत्र में जलभराव की स्थिति- खनन क्षेत्र में बनी पीटों पर जल भराव हुआ है।

अन्य विवरण - माननीय न्यायालय के आदेशों के क्रम में वर्तमान में खनन कार्य बन्द है।

उक्त के क्रम में इस कार्यालय के पत्र संख्या: 236/भू0खनि0वि0/जन0वागेश्वर0/2025-26, दिनांक 02.06.2025 के द्वारा "उत्तराखण्ड शासन, औद्योगिक विकास अनुभाग-1, देहरादून की अधिसूचना संख्या: 977/VII-2023-24(ख)/2007 दिनांक 16 जून, 2023 अध्याय 05 के 50(12) के तहत सम्बन्धित पट्टाधारक सहित

NOTARY
P.S. PARIHAR
DISTT - BAGESHWAR
REG NO - 412
2003
INDIA

Handwritten signature

अन्य सोपस्टोन खनन पट्टों पर रू0 5,00,000.00 (रू0 पांच लाख मात्र) का जुर्माना अर्थदण्ड आरोपित किये जाने हेतु आख्या भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून को प्रेषित की गयी है।

गठित परगना स्तरीय समिति द्वारा प्रस्तुत आख्या के क्रम में मै0 आनन्द सिंह कालाकोटी, सोपस्टोन माईन, ग्राम पर्षों, तहसील व जनपद बागेश्वर के पक्ष में स्वीकृत सोपस्टोन खनन पट्टे की पूर्ण पत्रावली का अवलोकन अधोहस्ताक्षरी द्वारा किया गया जिसके माध्यम से निम्न तथ्य संज्ञान में आये:-

उपजिलाधिकारी बागेश्वर के पत्र संख्या 1406/रीडर-खनन जांच/2020-21 दिनांक 29 जुलाई, 2021 में दिये गये निर्देशों के अनुसार, तहसीलदार, बागेश्वर के पत्र संख्या 29/बी0सी0-विविध-2021/खनन, दिनांक 03 अगस्त 2021 के द्वारा अवगत कराया गया कि दिनांक 30.07.2021 को राजस्व उपनिरीक्षक चौरा, सर्वेक्षक खनन के द्वारा स्थलीय निरीक्षण किया गया। मौके पर पट्टाधारक द्वारा खनन किये हुये गड्ढे नहीं भरे गये हैं, जिस कारण से माईन क्षेत्र में लगातार भूस्खलन हो रहा है। उक्त भूस्खलन में श्री बल राम पुत्र लछम राम का गौशाला/आफर पूर्ण रूप रूप से क्षतिग्रस्त हुआ है, तथा स्थलीय जांच के दौरान ग्रामवासियों द्वारा अवगत कराया गया कि पट्टाधारक के द्वारा संबंधितों को शेष देय धनराशि का भुगतान नहीं किया गया तथा ग्रामीणों का कथन यह भी था कि पट्टाधारक उनके मकान की सुरक्षा करे, साथ ही जो धनराशि शेष बची है उसका भुगतान उन्हे करने तथा उक्त पत्र के माध्यम से नियमानुसार कार्यवाही करते हुये निरस्त करने हेतु संयुक्त निरीक्षण आख्या उपजिलाधिकारी, बागेश्वर को पत्र प्रेषित की गयी। जिसके क्रम में उपजिलाधिकारी, बागेश्वर द्वारा अपने पत्र संख्या 1476/रीडर-खनन/जांच/2020-21 दिनांक 19 अगस्त, 2021 के माध्यम से जिलाधिकारी बागेश्वर को अवगत कराते हुये कि खनन क्षेत्र में भूस्खलन से कई वृक्ष व आम सार्वजनिक रास्ते भी क्षतिग्रस्त हो गये हैं। मौके की स्थिति के अनुसार खनन पिट को भरा जाना आवश्यक है के क्रम में पट्टाधारक को बार-बार निर्देशित करने उपरान्त भी पट्टाधारक द्वारा उक्त खनन पिट को न भरा जाना तथा खनन क्षेत्र में सम्भावित भूस्खलन की रोकथाम के सुरक्षात्मक उपाय न करना उत्तराखण्ड उप-खनिज परिहार नियमावली, 2001 के तहत खनन शर्तों के उल्लंघन के अन्तर्गत उपरोक्त शर्तों का पालन करने में पट्टाधारक असफल रहा है जिस कारण पट्टाधारक के पक्ष में स्वीकृत खनन पट्टे के निरस्त किये जाने की संस्तुति सहित आख्या अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु प्रेषित की गयी। इसी क्रम में उपजिलाधिकारी, बागेश्वर द्वारा अपने पत्र संख्या 1544/रीडर-खनन जांच/2020-21 दिनांक 04 सितम्बर, 2021 के द्वारा यथास्थिति से पुनः जिलाधिकारी बागेश्वर को अवगत कराया गया। तदुपरान्त कार्यालय जिलाधिकारी बागेश्वर के नोटिस संख्या 1188/तीस-खनन/2020-21, दिनांक 28.09.2021 से पट्टाधारक के विरुद्ध कारण बताओ नोटिस जारी करते हुये निर्देशित किया गया कि "नोटिस प्राप्त के एक सप्ताह के भीतर अपना लिखित पक्ष पुष्ट साक्ष्यों सहित प्रस्तुत करे यदि नियत समयान्तर्गत आपका स्पष्टीकरण प्राप्त न होने पर यह समझा जायेगा कि आपको इस संबंध में कुछ नहीं कहना है और एक पक्षीय कार्यवाही कर दी जायेगी। उक्त के अतिरिक्त आगामी खनन सत्र में अग्रिम आदेशों तक खनन क्षेत्रान्तर्गत खनन कार्य पर रोक लगायी गयी"।

क्रमानुसार श्री आनंद सिंह कालाकोटी पट्टाधारक, पर्षों सोपस्टोन माईन, तहसील व जिला बागेश्वर द्वारा दिनांक रहित पत्र के माध्यम से अपना प्रतिउत्तर जिलाधिकारी कार्यालय में मयसंलग्न के साथ प्रस्तुत किया गया जिसके क्रम में पुनः जिलाधिकारी, बागेश्वर के पत्र संख्या 162/तीस-खनन/2020-21 दिनांक 20.11.2021 के द्वारा समस्त कमियों का निराकरण कर लिया गया है अथवा नहीं, के संबंध में अपनी संयुक्त स्थलीय सत्यापन आख्या स्थायी उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये। तदक्रम में उपजिलाधिकारी, बागेश्वर के पत्र संख्या 857/रीडर-खनन जांच/2021-22 दिनांक 19 अप्रैल, 2022 के क्रम में तहसीलदार, बागेश्वर द्वारा स्थलीय निरीक्षण आख्या से अवगत कराया गया कि पट्टाधारक द्वारा नोटिस के प्रतिउत्तर में उल्लिखित किसी भी प्रकार के कार्य को आधिकारिक रूप से खनन क्षेत्रान्तर्गत नहीं किया गया है तथा प्राप्त स्थलीय सत्यापन आख्या जिलाधिकारी बागेश्वर को अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित की गयी। प्राप्त आख्या के आलोक में जिलाधिकारी बागेश्वर के आदेश संख्या 828/तीस-खनन-नो0/(2018-19)/2022-23 दिनांक 06.06.2023 (संलग्न) से पट्टाधारक के विरुद्ध धनराशि रू0

NOTARY
P.S. PARIHAR
DISTT - BAGESHWAR
REG NO - 412
2003
U.K.

[Handwritten Signature]

N 2

3,32,640.00 (रु० तीन लाख बत्तीस हजार छः सौ चालीस रुपये मात्र) अधिरोपित करते हुए पुनः सुरक्षात्मक कार्य करने हेतु निर्देशित किया गया (ई-चालान संख्या 08530723E0002076 दिनांक 01.07.2023 के द्वारा रु० 3,32,640.00 को विभागीय लेखाशीर्षक में जमा किया जा चुका है)।

तदक्रम में पुनः जिलाधिकारी, बागेश्वर के पत्र संख्या 844 दिनांक 12 जून, 2023 के द्वारा श्री आनन्द सिंह कालाकोटी के प्रार्थना पत्र दिनांक 12.06.2023 जिसमें पूर्व में निर्गत आदेश के क्रम में समस्त सुरक्षात्मक कार्य स्थल पर कर लिये गये हैं तथा स्थल पर बन्द पड़े खनन कार्य एवं पोर्टल को संचालित करने का अनुरोध किया गया है के क्रम में उल्लिखित तथ्यों की जांच/स्थलीय सत्यापन हेतु उपजिलाधिकारी बागेश्वर को निर्देश दिये गये, जिसके क्रम में उपजिलाधिकारी बागेश्वर के पत्र संख्या 274 दिनांक 20.06.2023 के द्वारा प्रकरण में तहसीलदार बागेश्वर के माध्यम से प्राप्त जाँच आख्या अग्रिम कार्यवाही हेतु जिलाधिकारी कार्यालय को प्रेषित की गयी। जिलाधिकारी बागेश्वर के कार्यालय आदेश संख्या 1018/तीस-खनन-नो०(2018-19) 2022-23, दिनांक 24.06.2023 के द्वारा श्री आनन्द सिंह कालाकोटी पट्टाधारक को अवशेष स्टॉक की निकासी हेतु सत्यापन के उपरांत ई-रवन्ना पोर्टल खोलने की अनुमति प्रदान की गयी किंतु पूर्व दिये गये निर्देशानुसार अनुपालन करने तक खनन कार्य पर रोक यथावत् लगायी गयी।

निरन्तर प्राप्त हो रही शिकायतों के क्रम में श्री पूरन राम पुत्र खीम राम द्वारा मा० उत्तराखण्ड अनुसूचित जाति आयोग में शिकायत दर्ज की गयी जिसके क्रम में मा० उत्तराखण्ड अनुसूचित जाति आयोग द्वारा जिलाधिकारी बागेश्वर को सम्मन संख्या-2182 दिनांक 19.01.2024 के द्वारा आख्या प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्देशित किया गया। जिसके अनुपालन में जिलाधिकारी, बागेश्वर के पत्र संख्या 341 दिनांक 03.02.2024 के द्वारा मा० आयोग के सम्मन संख्या-2182 दिनांक 19.01.2024 को आख्या उपलब्ध कराये जाने हेतु उपजिलाधिकारी बागेश्वर एवं जिला खान अधिकारी बागेश्वर को पत्र प्रेषित किया गया। जिसके संबंध में दिनांक 21.09.2024 को स्थल का निरीक्षण राजस्व उपनिरीक्षक चौरा, सर्वेक्षक खनन विभाग, सहायक खनिज पर्यवेक्षक द्वारा किया गया। स्थलीय निरीक्षण आख्या में उल्लेख किया गया कि "पट्टाधारक द्वारा प्रभावित परिवारों के भवनों के कार्य पूर्ण करने तथा सम्बन्धित काश्तकारों को अपने स्तर से उचित वार्तालाप कर मुआवजा प्रदान किये जाने के उपरान्त ही आगामी खनन सत्र में खनन कार्य को अनुमति प्रदान किया जाना उचित होगा"। जिसके सन्दर्भ में मा० आयोग को जिलाधिकारी बागेश्वर द्वारा अपने पत्र संख्या 20/तीस-खनन-मा०अनु०आ०सं०/2024, दिनांक 09.10.2024 से पत्र प्रेषित किया गया। जिसके संबंध में पुनः कार्यालय जिलाधिकारी, बागेश्वर के पत्र संख्या 17/तीस-खनन-नोटिस/2024, दिनांक 08.10.2024 के द्वारा श्री आनन्द सिंह कालाकोटी पट्टाधारक को नोटिस प्रेषित करते हुए इंगित कमियों का निराकरण करने हेतु निर्देशित किया साथ ही यह भी निर्देशित किया गया।

इसी प्रकार जिलाधिकारी, बागेश्वर के कार्यालय आदेश संख्या 738/तीस-खनन-स्था० आ०/2024-25 दिनांक 07.06.2024 के द्वारा सभी पट्टाधारकों को खनन कार्य से बने गड़दों को समतल कर भूखलन आदि के बचाव के लिए निर्देश दिये गये। परन्तु उपजिलाधिकारी, बागेश्वर के पत्र संख्या 782 दिनांक 27 अगस्त, 2024 के द्वारा अवगत कराया गया कि पट्टाधारक को मौखिक एवं लिखित रूप से सूचना दिये जाने के बावजूद भी उनके द्वारा खनन क्षेत्र में बने गड़दों को नहीं भरा जा रहा है जिस कारण खनन क्षेत्रान्तर्गत किसी भी प्रकार की जनहानि व पशुहानि की सम्भावना से इनकार नहीं किया जा सकता।

इसके अतिरिक्त अवगत कराना है कि Member Secretary, Uttarakhand Pollution Control Board, Dehradun के कार्यालय पत्र संख्या UKPCB/HO/C&M-179/2024/25 दिनांक 24.08.2024 (छायाप्रति संलग्न) के द्वारा मै० आनन्द सिंह कालाकोटी सोपस्टोन माईन, ग्राम पपों, तहसील व जनपद बागेश्वर नोटिस प्रेषित किया गया जिसमें उल्लेखित है कि मा० राष्ट्रीय हरित अधिकारी द्वारा मूल आवेदन संख्या 453/2023 श्री रघुबीर सिंह मन्डिया के नाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य में दिनांक 01.11.2023 को पारित आदेश के अनुपालन में दिनांक 14.09.

NOTARY
P. S. PARIHAR
DISTT - BAGESHWAR
REG NO - 412
2003
J. K. (INDIA)

Handwritten signature/initials.

2023 एवं दिनांक 24.07.2024 को प्रशनगत माईन का संयुक्त निरीक्षण किया गया जिसमें निम्न आदेश दिये गये जो निम्नवत् है:-

As SUCH, it is evident from the above observations that Unit is violating the provisions of Water (Prevention and Control of Pollution) Act- 1974 and Air (Prevention and Control of Pollution) Act-1981; and

Now Therefore, in exercise of the power conferred under Section 33(A) OF Water (Prevention and Control of Pollution) Act-1974 and Section 31 (A) of Air (Prevention and Control of Pollution) Act- 1981 as amended from time to time. M/s Anand Sing Kalakoti Soapstone mine, Vill-Papaun, Tehsil& Distt-Bageshwar is hereby directed:-

1. To close down your Unit with immediate effect.
2. To deposit Rs. 10,08,000/-(Rupees Ten Lakh Eight Thousand only) as Environmental compensation as first phase of violation in favor of Uttarakhand Pollution Control Board payable in the form of demand draft at Dehradun.

उक्त के क्रम में जिलाधिकारी, बागेश्वर के पत्र संख्या 970/तीस-खनन-विविध/2024, दिनांक 21.09.2024 के द्वारा उत्तराखण्ड प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, देहरादून के पत्र दिनांक 24.08.2024 से दिये गये निर्देशों के परिपालन में मै० आनन्द सिंह कालाकोटी सोपस्टोन माईन, ग्राम पपों, तहसील व जनपद बागेश्वर को निर्देशित किया गया कि उक्त सोपस्टोन खनन क्षेत्रान्तर्गत खनन कार्य को अग्रिम आदेशों तक बन्द/स्थगित रखते हुए उपजिलाधिकारी बागेश्वर द्वारा उपलब्ध करायी गयी उक्त आख्या के आलोक में खनन क्षेत्र के गड्ढों में पानी भर जाने से खनन क्षेत्रान्तर्गत जनहानि व पशुहानि की सम्भावना के दृष्टिगत उपजिलाधिकारी बागेश्वर व प्र० जिला खान अधिकारी, बागेश्वर के पर्यवेक्षण में खनन क्षेत्र में बने गड्ढों को भरवाये जाने की कार्यवाही भी किया जाना सुनिश्चित करें।

उक्त के अतिरिक्त यह भी अवगत कराना है कि क्षेत्रीय अधिकारी, कार्यालय उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड हल्द्वानी, नैनीताल के पत्रांक: यूकेपीसीबी/आर०ओ०एच०/रिट/स० 453/2023/1702-784 दिनांक 16.10.2024 जो जिला खान अधिकारी, बागेश्वर को सम्बोधित एवं सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड देहरादून, जिलाधिकारी बागेश्वर को पृष्ठांकित है के साथ बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक यूकेपीसीबी/एचओ/सी०एण्ड०एम०/-179/2024/25 दिनांक 24.08.2024 की प्रति संलग्न करते हुए मुख्यालय से निर्गत आदेशों के अनुपालन में उक्त खनन पट्टाधारक का पोर्टल बंद करने हेतु निर्देशित किया गया। पुनः बोर्ड मुख्यालय देहरादून के पत्रांक: यूकेपीसीबी/एचओ/सी०एण्ड०एम०/-179/K-80/2024/1392, दिनांक 25.11.2024 के द्वारा सम्बन्धित पट्टाधारक को निर्देशित किया गया कि पत्र प्राप्ति के एक सप्ताह के अन्दर आरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि रु० 10,08,000/- डिमान्ड ड्राफ्ट के माध्यम से बोर्ड मुख्यालय में जमा करना सुनिश्चित करें, जिससे मा० एन०जी०टी० द्वारा पारित आदेशों का अनुपालन कराया जा सके। यदि पट्टाधारक द्वारा उक्त आरोपित धनराशि जमा नहीं की जाती तो उक्त धनराशि की वसूली जिलाधिकारी बागेश्वर के माध्यम से भू-राजस्व की भांति की जायेगी, के संबंध में पत्र प्रेषित किया गया।

सहायक भूवैज्ञानिक भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, जनपद बागेश्वर द्वारा कार्यालय जिलाधिकारी बागेश्वर के पत्र संख्या 245(i)/शि०ज०शि०/2024, दिनांक 27.09.2024 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में दिनांक 21.09.2024 एवं 07.12.2024 को भूगर्भीय जांच करते हुए अपने पत्रांक संख्या 943/शि०ज०शि०/बागेश्वर/भू०विज्ञान/2024-25 दिनांक 09.12.2024 के साथ संलग्न निरीक्षण आख्या में प्रशनगत स्थल निरीक्षण प्रतीत होता है जिस कारण प्रभावित स्थल में सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से निवासरत परिवार का विस्थापन आवश्यक स्थान पर किया जाना उचित होगा, का निष्कर्ष दिया गया।

अवगत कराना है कि उत्तराखण्ड शासन औद्योगिक विकास (खनन) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या 204/VII-1/2024-74(ख)/2001, दिनांक 01 मार्च, 2024 के द्वारा मैसर्स भगवत वासुदेवाय माईन्स एण्ड



[Handwritten Signature]

मिनरल्स (भागीदार 1- श्री विशाल भण्डारी पुत्र श्री राम सिंह भण्डारी, गली नं० 25, कृष्णा नगर रुड़की, सलेमपुर रूपथान, रुड़की हरिद्वार, 2- श्रीमती कमलेश लाल पत्नी श्री नरेश कुमार, बी-18 द्वितीय तल, मोतीनगर, रमेशलनगर, एच०ओ० वेस्ट दिल्ली, 3- श्री ललित मोहन जोशी पुत्र श्री महेश चन्द्र जोशी, तहसील रोड बागेश्वर, 4- श्री आनन्द सिंह कालाकोटी पुत्र श्री दीवान सिंह कालाकोटी, दोफाड़, बागेश्वर) के पक्ष में जनपद व तहसील बागेश्वर के ग्राम पपों के क्षेत्रान्तर्गत 2.81 एकड़ अर्थात् 1.14 है० भूमि पर स्वीकृत सोपस्टोन खनन पट्टे संक्रमण (Transfer) की अनुमति प्रदान की गयी। यह भी अवगत कराना है कि मै० आनन्द सिंह कालाकोटी सोपस्टोन माईन, ग्राम पपों, तहसील व जनपद बागेश्वर से सम्बन्धित प्रकरण वर्तमान में मा० राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण में मूल आवेदन संख्या 453/2023 श्री रघुवीर सिंह गढ़िया बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य विचाराधीन है।

संबन्धित सोपस्टोन खनन पट्टे की पत्रावली का अवलोकन करने के उपरान्त अधोहस्ताक्षरी द्वारा उक्त सोपस्टोन खनन पट्टे का दिनांक 24 मई, 2025 को निरीक्षण किया जिसमें मौके पर देखा गया कि उक्त क्षेत्र में हो रहे भूस्खलन से लगभग 50 मी० की दूरी में मोटर मार्ग स्थित है (फोटोग्राफ संलग्न) यदि भविष्य में खनन कार्य उक्त स्थल पर किया जाता है तो उक्त मोटर मार्ग एवं आस-पास निवासरत भवनों को भी क्षति पहुंचने की संभावना है।

उपरोक्तानुसार पत्रावली के अवलोकन से यह संज्ञानित होता है की पट्टाधारक के विरुद्ध प्रत्येक वर्ष निरंतर शिकायते प्राप्त हुई हैं जिनमें जांच के आधार पर पट्टाधारक को निरंतर सुरक्षात्मक कार्य हेतु निर्देश दिये गये है परन्तु पट्टाधारक द्वारा विभागीय निर्देशों का पूर्णतः पालन नहीं किया गया इसके अतिरिक्त भूवैज्ञानिक की आख्या एवं परगना समिति द्वारा दी गई आख्या से स्पष्ट है कि उक्त क्षेत्र में भूस्खलन है जिससे भविष्य में दुर्घटना होने की संभावना विद्यमान है। अतः समस्त तथ्यों के दृष्टिगत श्री आनन्द सिंह कालाकोटी पुत्र श्री दीवान सिंह कालाकोटी निवासी ग्राम व पोस्ट दोफाड़, जनपद व तहसील बागेश्वर के पक्ष में जनपद व तहसील बागेश्वर ग्राम पपों के क्षेत्रान्तर्गत 2.81 एकड़ अर्थात् 1.14 है० क्षेत्रफल में 30 वर्ष की अवधि हेतु स्वीकृत सोपस्टोन खनन पट्टे को माईन ब्लोजर प्लान के अनुसार वैज्ञानिक विधि से पिट बंद करने के संबंध में निर्देशित करते हुए उक्त माईन को निरस्त करने हेतु उपरोक्तानुसार आख्या आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।
संलग्नकः उपरोक्तानुसार।

भवदीया,
Najia Hasan
(नाजिया हसन),
खान अधिकारी
बागेश्वर।


संख्या: /भू०खनि०वि०/खनन/जन०बागे०/2025-26, तददिनांकित।

प्रतिलिपि, निम्नांकित को उक्तानुसार सूचनार्थ एवं कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तराखण्ड "खनिज भवन" देहरादून।
2. सदस्य सचिव, राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, उत्तराखण्ड "गौरा देवी पर्यावरण भवन, तृतीय तल, 46-बी, आई०टी० पार्क, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून।
3. क्षेत्रीय कार्यालय उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आवास विकास कालोनी, हल्द्वानी नैनीताल।

खान अधिकारी
बागेश्वर।





NOTARY
P. S. PARIHAR
DISTT - BAGESHWAR
REG NO - 4/12
2003
J.K (INDIA)

Handwritten signature

Plate 01



NOTARY
P. S. PARIHAR
DISTT - BAGESHWAR
REG NO - 4/12
2003
INDIA

Arundh

संयुक्त निरीक्षण आख्या ✓

उपजिलाधिकारी महोदय बागेश्वर के आदेश संख्या 1355/रा०अ० -खनन जॉच /2025 दिनांक 15/4/2025 के अनुपालन में वन विभाग, खनन विभाग, पुलिस विभाग एवं राजस्व विभाग के द्वारा तहसील बागेश्वर के अन्तर्गत निर्धारित रोस्टर के अनुसार सोप स्टोन पट्टों का संयुक्त निरीक्षण किया गया। बिन्दुवार जॉच रिपोर्ट निम्न प्रकार है।

1-पट्टा धारक का नाम व स्वीकृत क्षेत्र- श्री मानन्द सिंह कालकौड़ी पुत्र दीवान सिंह ग्राम पीठ तहसील बागेश्वर

2-खनन कार्य संचालन की स्थिति- वर्ष 2024-25 में खनन कार्य नहीं किया गया है। पूर्व में खनन करने से आवासीय गमलों के निकट से खनन हुआ है। खनन क्षेत्र का मलबा गंधरी में गया है।

3- वन पंचायत की स्थिति- वन पंचायत में मलबा गया है।

4-खनन क्षेत्र का मलबा- खनन क्षेत्र का मलबा वन पंचायत व गंधरी में गया है। वन पंचायत में दर्ज खेत नम्बर 306, 601, 602, 603 एवं राज्य सरकार के नाम दर्ज रोली खसरा सं 606 में डाला गया है।

5-खनन क्षेत्र में जलभराव की स्थिति- खनन क्षेत्र में बनी पीठों पर जलभराव हुआ है।

6-अन्य विवरण- माननीय न्यायालय के आदेशों के फ़ाम में वर्तमान में खनन कार्य अन्त है।



(Signature)
P.S. PANDEY

25.04.2025
सर्वे कर

क्षेत्र एवं खनन विभाग
बागेश्वर (अलमोड़ा)

(Signature)
वन प्रशासक
घरमघर वन क्षेत्र
बागेश्वर

(Signature)
NS

Sumit Dutt
25-4-2025
सहाय सहायिका
क्षेत्र एवं खनन विभाग
बागेश्वर

(Signature)
NT(B)

(Signature)

388

10/7/2025

भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तराखण्ड,
"खनिज भवन" भोपालपानी, देहरादून।
Email.dir.ukdgm@gmail.com

संख्या :- /मु0ख0/65/बागे0/खनन/मू0खनि0निदे0/2010-11(2025),

दिनांक 27 जून, 2025

श्री आनन्द सिंह कालाकोटी,
पुत्र श्री दीवान सिंह,
ग्राम पर्पों, तहसील व जनपद बागेश्वर।

जिला खान अधिकारी भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग बागेश्वर के पत्र संख्या 236/मू0खनि0वि0/जन0बागे0/2024-25, दिनांक 02-06-2025 के द्वारा अवगत कराया गया है कि जिलाधिकारी, बागेश्वर के आदेश संख्या 237/तीस-खनन-सोप0 निरी0/2025 दिनांक 18.01.2025 के क्रम में मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या 1. Suo Moto (PIL) NO. 174 of 2024 Developing Cracks in House, fertile lands of poor villagers and drying up of drinking water sources due to land subsidence in some village of District Bageshwar Vs State of Uttarakhand & Other 2. Writ No. 202 (PIL) of 2024 Sajjan Lal Tamata Vs State of Uttarakhand & Other पारित आदेश के अनुपालन में जनपद अन्तर्गत अवस्थित समस्त सोपस्टोन खनन पट्टों के निरीक्षण हेतु जिलाधिकारी, महोदय की अध्यक्षता में "जनपद स्तरीय समिति" एवं परगना स्तर पर "परगना स्तरीय समिति" गठित करते हुए समिति को अपने-अपने क्षेत्रान्तर्गत अवस्थित सोपस्टोन खनन पट्टों का गहनता से निरीक्षण कर आख्या उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये।

उक्त के क्रम में गठित समिति द्वारा आपके पक्ष में जनपद व तहसील बागेश्वर के ग्राम चौरा/पर्पों के क्षेत्रान्तर्गत कुल 1.14 है0 क्षेत्रफल में स्वीकृत सोपस्टोन खनन पट्टे का स्थलीय निरीक्षण किया गया, जिसमें आपके द्वारा आपके पक्ष में स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्र से बाहर वन पंचायत में दर्ज खेत नम्बर 306, 601, 602, 603 एवं राज्य सरकार क नाम दर्ज रौली खसरा संख्या 606 में ओवर बर्डन/मलवा डाला हुआ पाया गया। जिसके क्रम में आप पर "उत्तराखण्ड शासन औद्योगिक विकास अनुभाग-1 की अधिसूचना संख्या: 977/VII-A-1/2023-24(ख)/ 2007 दिनांक 16 जून, 2023 अध्याय 05 के 50(12) में अंकित नियम स्वस्थानें चट्टानों हेतु स्वीकृत खनन पट्टों में ओवर बर्डन/मिट्टी/मलवा स्वीकृत क्षेत्र से बाहर नहीं डाला जाएगा यदि पट्टाधारक द्वारा स्वीकृत क्षेत्र से बाहर ओवर बर्डन/मलवा डाला जाता है तो सम्बन्धित पट्टाधारक पर रू0 5,00,000.00 (रू0 पांच लाख मात्र) का जुर्माना जिला खान अधिकारी की संस्तुति पर निदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय द्वारा अधिरोपित किया जाएगा के अधीन कार्यवाही करते हुए रू0 5.00 लाख का अर्धदण्ड अधिरोपित किये किये जाने की संस्तुति की गयी है।

जिला खान अधिकारी भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग बागेश्वर के पत्र संख्या 236/मू0खनि0वि0/जन0बागे0/2024-25, दिनांक 02-06-2025 के द्वारा निदेशालय को उपलब्ध करायी गयी संस्तुति सहित आख्या एवं गठित समिति की संयुक्त निरीक्षण आख्या के क्रम में औद्योगिक विकास अनुभाग-1, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 977/VII-A-1/2023-24 ख/2007 दिनांक 16 जून, 2023 द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड उप-खनिज (परिहार) नियमावली-2023 के अध्याय-5 के नियम 50 के उपनियम 12 के तहत आप पर रू0 5.00 लाख (रू0 पांच लाख मात्र) का जुर्माना अधिरोपित किया जाता है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्तानुसार अधिरोपित धनराशि रू0 5.00 लाख (रू0 पांच लाख मात्र) तत्काल सुसंगत विभागीय लेखाशीर्षक 0853 में जमा कराते हुए चालान की मूल प्रति जिलाधिकारी बागेश्वर/जिला खान अधिकारी, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, जनपद बागेश्वर के माध्यम से निदेशालय को उपलब्ध कराने



अर्धदण्ड रू0 5.00 लाख के तहत
जिला
Narayan

तथा आपके द्वारा अपने खनन पट्टा क्षेत्र से बाहर वन पंचायत में दर्ज खेत नम्बर 306, 601, 602, 603 एवं राज्य सरकार क नाम दर्ज शैली खसरा संख्या 606 में डाले गये ओवर बर्डन/मलवे को एक सप्ताह के अन्तर्गत हटाना सुनिश्चित करें।

(राजपाल लेघा)
निदेशक

संख्या :- 1837/ मु0ख0/65/बागे0/खनन/मू0खनि0निदे0/2010-11(2025), तददिनांकित।
प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, बागेश्वर।

2. जिला खान अधिकारी, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, बागेश्वर को इस निर्देश के साथ प्रेषित की उक्तानुसार पट्टाधारक से रू0 5.00 लाख-अर्थदण्ड-निर्धारित-विभागीय-लेखाशीर्षक में जमा कराकर चालान की मूल प्रति निदेशालय को उपलब्ध कराने तथा पट्टाधारक द्वारा स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्र के बाहर डाले गये मलवे को एक सप्ताह के अन्तर्गत पट्टाधारक से हटाना सुनिश्चित करें, पट्टाधारक द्वारा निर्धारित समयान्तर्गत मलवा न हटाने की दशा में पट्टाधारक के पक्ष में स्वीकृत खनन पट्टे को निरस्त करने हेतु अग्रेत्तर कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

(Signature)
27/6/25
(राजपाल लेघा)
निदेशक



(Signature)

क्रम संख्या-61 (क)

पंजीकरण संख्या-UA/DO/DDN/30/2021-2023



सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग-4, खण्ड (क)
(सामान्य परिनियम नियम)

देहरादून, शुक्रवार, 16 जून, 2023 ई०
ज्येष्ठ 26, 1945 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन
औद्योगिक विकास अनुभाग-1

संख्या 977/VII-A-1/2023-24 ख/2007
देहरादून, 16 जून, 2023

अधिसूचना

सा0प0नि0-16

राज्यपाल, खान एवं खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या 67, वर्ष 1957) की धारा 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके उत्तराखण्ड राज्य के परिप्रेक्ष्य में उत्तराखण्ड उपखनिज परिहार नियमावली, 2001 तथा इस विषय पर विद्यमान समस्त नियमों एवं आदेशों को अतिक्रमित करते हुए उत्तराखण्ड उप-खनिज (परिहार) नियमावली-2023 को निम्नवत् प्रख्यापित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं, अर्थात् :-

उत्तराखण्ड उप-खनिज (परिहार) नियमावली-2023

अध्याय-1

प्रारम्भिक

1. साक्षिण, शीर्षक्रम, प्रसार, प्रारम्भ और प्रयुक्ति-

(1) यह नियमावली उत्तराखण्ड उप-खनिज (परिहार) नियमावली, 2023 (Uttarakhand Minor Minerals (Concession) Rules, 2023 कहलायेगी।

(2) इनका प्रसार समस्त उत्तराखण्ड में होगा।

(3) यह गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रचलित होगी।



Almond

विस्तारीकरण पट्टाधारक के अनुरोध पर महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय द्वारा किया जायेगा। वर्ष 2015 से पूर्व के स्वीकृत खनन पट्टों की अवधि का विस्तारीकरण मूल खनन पट्टा विलेख के पंजीकरण की तिथि से 50 वर्ष तक होगी। इस हेतु पट्टाधारक को अनुपूरक पट्टाविलेख रू0 10,000/- के स्टाम्प पेपर पर कराया जायेगा। पूर्व से स्वीकृत खनन पट्टों की अवधि का विस्तारीकरण इस नियमावली के प्रख्यापन की तिथि से 06 माह के अन्तर्गत पट्टाधारक के द्वारा पूर्ण कराया जाना आवश्यक होगा।

12. स्वस्थाने चट्टानों हेतु स्वीकृत खनन पट्टों में ओवरबर्डन/मिट्टी/मलवा स्वीकृत क्षेत्र के बाहर नहीं डाला जायेगा, यदि पट्टाधारक द्वारा स्वीकृत क्षेत्र से बाहर ओवरबर्डन/मिट्टी/मलवा डाला जाता है, तो सम्बन्धित पट्टाधारक पर रू0 5.00 लाख का जुर्माना जिला खान अधिकारी की संस्तुति पर निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय द्वारा अधिरोपित किया जायेगा।
13. स्वस्थाने (In-situ) चट्टान किस्म के खनिज निक्षेप जैसे सोपरटोन, सिलिका सैण्ड, बैराईट, डोलोमाईट, स्लेट, क्वार्ट्जाईट, पत्थर, जिप्सम आदि हेतु आवेदित क्षेत्रफल के अन्तर्गत राज्य सरकार की भूमि आती है तो ऐसी भूमि को 25 प्रतिशत की सीमा तक निजी भूमि के साथ सम्मिलित किया जा सकेगा तथा प्रश्नगत क्षेत्र से उत्खनित खनिज पर नियमानुसार रायल्टी देय होगी। पूर्व से स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्रान्तर्गत राज्य सरकार की भूमि आती है, तो उक्त क्षेत्र से खनिज को उत्खनित किया जा सकता है तथा उत्खनित खनिज पर नियमानुसार रायल्टी देय होगी।
14. स्वस्थाने (In-situ) चट्टान किस्म के खनन पट्टाधारकों को वर्षाकाल में खदान का भूधसाव से बचाव एवं Natural Drainage का प्रबन्ध करते हुए पूर्ण सुरक्षित उपायों के साथ खनन किया जा सकेगा।

अध्याय -6

खनन अनुज्ञा-पत्र

51- खनन अनुज्ञा पत्र के दिये जाने पर निर्वन्धन :-

1. कोई खनन अनुज्ञा पत्र ऐसे व्यक्ति को न दिया जायेगा जो भारतीय राष्ट्रिक न हो, जिसके विरुद्ध या उसके परिवार के विरुद्ध खनन बकाया हो तथा राज्य का मूल निवासी/स्थायी निवासी न हो।
2. नदी तल/गधेरा/नाला में उपखनिजों का चुगान, नदी तल से भिन्न निजी नाप/राजस्व भूमि में भवनों के निर्माण हेतु बेसमेन्ट खुदान, ईट मिट्टी के खुदान, साधारण मिट्टी का खुदान आदि तथा कार्यदायी संस्थाओं के द्वारा मोटर मार्ग निर्माण के कटान से निकलने वाले उपखनिज व जल विद्युत परियोजना के निर्माण की टनल आदि से निकलने वाले उपयोगी उपखनिजों, जिनका व्यवसायिक/परियोजना निर्माण में उपयोग किया जायेगा, हेतु अनुज्ञा स्वीकृत की जायेगी।
3. खनन अनुज्ञा की अवधि अधिकतम 06 माह (छः माह) होगी तथा स्वीकृत अनुज्ञा की अवधि का विस्तार नहीं किया जायेगा।

52- खनन अनुज्ञा-पत्र दिये जाने के लिये प्रार्थना पत्र :-

खनन अनुज्ञा-पत्र दिये जाने के लिये प्रार्थना पत्र प्रपत्र एम0एम0 8 में चार प्रतियों में जिला खान अधिकारी को प्रस्तुत किया जायेगा, जिसके द्वारा आवेदन पत्र तथा आवेदन पत्र के साथ संलग्न अभिलेखों का



Handwritten signature



Annexure - D

HEAD OFFICE

Uttarakhand Pollution Control Board

"Gaura Devi Paryavaran Bhawan"

46B, IT Park, Sahastradhara Road, Dehra Dun

E-mail : msukpcb@yahoo.com, Phone No.-0135-2607092

UKPCB/HO/C&M-179/2024/ 25

Speed Post

Date: 24/08.2024 0c/f.u/m

To,

M/s Anand Singh Kalakoti Soapstone mine,
Vill-Papaun, Tehsil & Distt- Bageshwar.नयालय जिलापिकाणी बागेश्वर
No. 17053 तारखे 04/9/24

319

Directions under Section 31(A) of Air (Prevention and Control of Pollution) Act- 1981 and Section 33(A) of Water (Prevention and Control of Pollution) Act- 1974

WHEREAS, the Central Government has made the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 and Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981; and vide provisions of this Act every water/air polluting industry/unit/operation/processes is required to obtain consent to establish and consent to operate from the State Pollution Control Board; and

WHEREAS, it is mandatory on the part of industry to obtain the prior consent of the Board to establish/operate/process an industrial plant under Section-25 of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974;

WHEREAS, it is mandatory on the part of industry to obtain the prior consent of the Board to establish/operate/process an industrial plant under Section-21 of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981;

WHEREAS, for the purposes of protecting and improving the quality of environment and preventing and abating environmental pollution, the standards for discharge of environmental pollutants from the industries, operations or processes, have been specified under the Environment (Protection) Rules, 1986; and it is mandatory to every industries, operations or processes to keep their effluent/emission quality within the specified norms; and

WHEREAS, in reference of the order passed by the Hon'ble NGT on dated 01.11.2023 in the matter of OA no. 453/2023 titled as "Raghubir Singh Garia Vs State of Uttarakhand & Ors" a joint inspection of M/s Anand Singh Kalakoti Soapstone mine located at Vill-Papaun, Tehsil & Distt- Bageshwar was carried out on dated 14.09.2023. In continuation of which the report was forwarded by Regional Officer, Haldwani vide their letter dated 12.10.2023 and 20.01.2024 with following observations :-

1. निरीक्षण के दौरान स्थल पर खनन क्षेत्र से निकले मलवे का निस्तारण खनन क्षेत्र की उत्तर दिशा में नाले की ओर 15 x 10 x 1.5M=225 घन मीटर मलवा खनन क्षेत्र के बाहर भूमि पर किया जाना पाया गया। जिसमें वायर कट रिटैनिंग वाल की स्थापना नहीं की गयी है। जिससे मलवे का निस्तारण नाले में होने की सम्भावना है। जो राज्य बोर्ड से निर्गत सशर्त सहमति पत्रांक-यूकेपीसीबी/सहमति/ए-358/2023/202 दिनांक 22.05.2023 की विशिष्ट शर्तों के बिन्दु सं0-02 तथा बिन्दु सं0-16 का उल्लंघन है।

...cont..page-2..

Clean Environment and Healthy Life Style
स्वच्छ पर्यावरण व स्वस्थ जीवन शैली

Anand

WHEREAS, in view of above observations, a show cause notice was issued to the Unit under Section 33(A) of Water (Prevention and Control of Pollution) Act- 1974 and Section 31(A) of Air (Prevention and Control of Pollution) Act- 1981 vide this office letter no. UKPCB/HO/C&M-179/2024/81 dated 21.03.2024; and

WHEREAS, in compliance of the show cause notice, inspection of the Unit was carried out by the officials of Regional Office, Haldwani of this Board on dated 24.07.2024 and made following observations :-

1. निरीक्षण के दौरान सोप स्टोन माईन में खनन कार्य नहीं किया जा रहा था तथा स्थल पर खनन क्षेत्र से निकले मलवे का निस्तारण खनन क्षेत्री की उत्तर दिशा में नाले की ओर खनन क्षेत्र के बाहर भूमि पर किया जाना पाया गया। जिसमें वायर क्रेट रिटैनिंग वाल की स्थापना वर्तमान तक नहीं की गयी है। जिससे मलवे का निस्तारण नाले में होने की सम्भावना है। जो राज्य बोर्ड से निर्गत सशर्त सहमति पत्रांक-यूकेपीसीबी/सहमति/ए-358/2023/202 दिनांक 22.05.2023 की विशिष्ट शर्तों के बिन्दु सं0-02 व बिन्दु सं0-16 तथा बोर्ड मुख्यालय द्वारा निर्गत कारण बताओ नोटिस का उल्लंघन है।

AS SUCH, it is evident from the above observations that the Unit is violating the provisions of Water (Prevention and Control of Pollution) Act- 1974 and Air (Prevention and Control of Pollution) Act- 1981; and

Now Therefore, in exercise of the power conferred under Section 33(A) of Water (Prevention and Control of Pollution) Act- 1974 and Section 31(A) of Air (Prevention and Control of Pollution) Act- 1981 as amended from time to time, M/s Anand Singh Kalakoti Soapstone mine, Vill-Papaun, Tehsil & Distt- Bageshwar is hereby directed :-

1. To Close down your Unit with immediate effect.
2. To deposit ₹10,08,000/- (Rupees Ten Lakh Eight Thousand only) as Environment Compensation as first phase of violation in favour of Uttarakhand Pollution Control Board payable in the form of demand draft at Dehradun.

(Dr. Parag Madhukar Dhakate)
Member Secretary

Ref: UKPCB/HO/C&M-179/2024/


Dehradun, 08.2024

SPEED POST

To,
Managing Director,
Uttarakhand Power Corporation Ltd.,
Urja Bhawan, Kanwali Road,
Dehradun (Uttarakhand).

Directions under Section 31(A) of Air (Prevention and Control of Pollution) Act- 1981 and Section 33(A) of Water (Prevention and Control of Pollution) Act- 1974

...cont..page-3..



Clean Environment and Healthy Life Style
स्वच्छ पर्यावरण व स्वस्थ जीवन शैली

(Handwritten signature)

WHEREAS, it is evident from the above observations that the Unit is violating the provisions of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act- 1974 and Air (Prevention and Control of Pollution) Act- 1981; and

NOW THEREFORE, in exercise of the powers conferred under Section 33(A) of Water (Prevention and Control of Pollution) Act- 1974 and Section 31(A) of Air (Prevention and Control of Pollution) Act- 1981 as amended thereafter, you are hereby directed to instruct concerned officials of UPCL for discontinuing the power supply of the Unit with immediate effect and intimate to this office on priority.

This issues with the approval of the Competent Authority of the Board.


(Dr. Parag Madhukar Dhakate)
Member Secretary

Letter no :- UKPCB/HO/C&M-179/2024/

Dated : as above

Copy to :-

1. District Magistrate, Bageshwar for information and arrange to seal the Unit please.
2. Regional Officer, UKPCB, Regional Office, Haldwani with the direction for strict compliance of the closure order and to seal the Unit.
3. Consent Management Cell-1/Consent Management Cell-2, UKPCB to keep the copy of this order in concerned consent file.
4. Guard File.


Member Secretary





प्रेषक,

जिलाधिकारी,
बागेश्वर।

सेवा में,

महानिदेशक,
भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय,
उत्तराखण्ड,
खनिज भवन देहरादून।

संख्या-57L/तीस-25/खनन/2025-26

दिनांक 14.07.2025

विषय-

श्री आनन्द सिंह कालाकोटी पुत्र श्री दिवान सिंह कालाकोटी निवासी ग्राम व पोस्ट दोफाड तहसील व जनपद बागेश्वर के पक्ष में जनपद व तहसील बागेश्वर के ग्राम पंचों के क्षेत्रान्तर्गत 2.81 एकड़ अर्थात् 1.14 है० भूमि पर स्वीकृत सोपस्टोन खनन पट्टे के निरस्तीकरण के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक जिला खान अधिकारी, जिला बागेश्वर के कार्यालय पत्र संख्या-293/भू०ख०नि०वि०/जन०बागेश्वर०/2025-26 दिनांक-18.06.2025 जो इस कार्यालय को सम्बोधित एवं आपके कार्यालय को पृष्ठांकित है, का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जिसके द्वारा श्री आनन्द सिंह कालाकोटी पुत्र श्री दिवान सिंह कालाकोटी निवासी ग्राम व पोस्ट दोफाड, तहसील व जनपद बागेश्वर के ग्राम पंचों के क्षेत्रान्तर्गत 2.81 एकड़ अर्थात् 1.14 है० भूमि में 30 वर्ष की अवधि हेतु स्वीकृत सोपस्टोन खनन पट्टे को माईन क्लोजर प्लान के अनुसार बैज्ञानिक विधि से पिट बंद करने तथा स्वीकृत सोपस्टोन खनन पट्टे के निरस्तीकरण हेतु विस्तृत आख्या प्रेषित की गयी है।

अतः प्राप्त पत्र की प्रति मूल में संलग्न कर इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि विषयगत प्रकरण पर अपने स्तर से आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करेंगे।

संलग्न- यथोक्त।

भवदीय,

(आशीष कुमार भटगाई)
जिलाधिकारी, बागेश्वर।



23 JUN 2025

कार्यालय जिलाधिकारी, बागेश्वर
संख्या 486/नि.वि.0/जन.वा.गो/2025-26

€ 32497

OC/MC
+ DC 23/06

भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग,
बागेश्वर।

E-mail address: geologistbageshwar@gmail.com

संख्या 293 / भू0खनि0वि0 / जन0वागो0 / 2025-26,

दिनांक: 18-06-2025

सेवा में,

✓ जिलाधिकारी,
बागेश्वर।

विषय:-

श्री आनन्द सिंह कालाकोटी पुत्र श्री दिवान सिंह कालाकोटी निवासी ग्राम व पोस्ट दोफाड तहसील व जनपद बागेश्वर के पक्ष में जनपद व तहसील बागेश्वर के ग्राम पंचों के क्षेत्रान्तर्गत 2.81 एकड़ अर्थात् 1.14 है0 भूमि पर स्वीकृत सोपस्टोन खनन पट्टे के निरस्तीकरण के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अवगत कराना है कि कार्यालय अभिलेखानुसार औद्योगिक विकास अनुभाग-1, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून के शासनादेश संख्या: 2424/औ0वि0/74-ख/2001, दिनांक 08 जनवरी, 2002 के द्वारा श्री आनन्द सिंह कालाकोटी पुत्र श्री दिवान सिंह कालाकोटी निवासी ग्राम व पोस्ट दोफाड, जनपद व तहसील बागेश्वर के पक्ष में जनपद व तहसील बागेश्वर के ग्राम पंचों के क्षेत्रान्तर्गत 2.81 एकड़ अर्थात् 1.14 है0 क्षेत्रफल में 20 वर्ष की अवधि हेतु खनन पट्टा स्वीकृत किया गया जिसका पंजीकरण पट्टाधारक द्वारा उपनिबन्धक कार्यालय बागेश्वर में दिनांक 22.02.2002 को किया गया। तदुपरान्त स्वीकृत सोपस्टोन खनन पट्टे को ई-रवन्ना पोर्टल पर पंजीकृत करते हुए एम0ओ0 आईडी. MO63022700 निर्गत की गयी। तत्पश्चात् उत्तराखण्ड शासन, औद्योगिक विकास अनुभाग-1, देहरादून के कार्यालय ज्ञाप संख्या: 2250/VII-A-1/2021-74ख/2001, दिनांक 03 जनवरी, 2022 के द्वारा पट्टाधारक श्री आनन्द सिंह कालाकोटी उपरोक्त के पक्ष में स्वीकृत खनिज सोपस्टोन के खनन पट्टे को आगामी 30 वर्षों की अवधि तक कतिपय शर्तों/प्रतिबंधों के अधीन विस्तारीकरण किये जाने की स्वीकृति प्रदान गयी।

वर्तमान में मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल द्वारा रिट याचिका संख्या: WPPIL 174/2024 में पारित आदेश दिनांक 06.01.2025 एवं दिनांक 10.01.2025 के अनुपालन में जिलाधिकारी महोदय के कार्यालय आदेश संख्या: 237 दिनांक 18.01.2025 से गठित "परगना स्तरीय समिति" द्वारा समस्त खनन पट्टों की जांच के क्रम में उपजिलाधिकारी, बागेश्वर के आदेश संख्या 1355/रा0अ0-खनन जांच/2025 दिनांक 15.04.2025 से वन विभाग, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग बागेश्वर एवं राजस्व विभाग के द्वारा तहसील बागेश्वर के अन्तर्गत निर्धारित रोस्टर के अनुसार उक्त सोपस्टोन खनन पट्टे का संयुक्त निरीक्षण किया गया जिसकी बिन्दुवार जांच आख्या निम्न प्रकार है:-

1. पट्टाधारक का नाम व स्वीकृत क्षेत्र- श्री आनन्द सिंह कालाकोटी पुत्र दीवान सिंह ग्राम पंचों तहसील बागेश्वर।
2. खनन कार्य संचालन की स्थिति- वर्ष 2024-25 में खनन कार्य नहीं किया गया है। पूर्व में खनन करने से आवासीय भवनों के निकट भूस्खलन हुआ है खनन क्षेत्र का मलवा गधेरे में गया है।
3. वन पंचायत की स्थिति- वन पंचायत में मलवा गया है।
4. खनन क्षेत्र का मलवा- खनन क्षेत्र का मलवा वन पंचायत व गधेरे में गया है। वन पंचायत में दर्ज खेत नम्बर 306, 601, 602, 603, एवं राज्य सरकार के नाम दर्ज रौली खसरा संख्या 606 में डाला गया है।
5. खनन क्षेत्र में जलभराव की स्थिति- खनन क्षेत्र में बनी पीटों पर जल भराव हुआ है।
6. अन्य विवरण - माननीय न्यायालय के आदेशों के क्रम में वर्तमान में खनन कार्य बन्द है।

उक्त के क्रम में इस कार्यालय के पत्र संख्या: 236/भू0खनि0वि0/जन0वागो0/2025-26, दिनांक

02.06.2025 के द्वारा "उत्तराखण्ड शासन, औद्योगिक विकास अनुभाग-1, देहरादून की अधिसूचना संख्या: 977/VII-A-1/2025-24(ख)/2007 दिनांक 16 जून, 2023 अध्याय 05 के 50(12) के तहत सम्बन्धित पट्टाधारक सहित



Almond

अन्य सोपस्टोन खनन पट्टों पर रू0 5,00,000.00 (रू0 पांच लाख मात्र) का जुर्माना अर्धदण्ड आरोपित किये जाने हेतु आख्या भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून को प्रेषित की गयी है।

गठित परगना स्तरीय समिति द्वारा प्रस्तुत आख्या के क्रम में मै0 आनन्द सिंह कालाकोटी, सोपस्टोन माईन, ग्राम पर्पो, तहसील व जनपद बागेश्वर के पक्ष में स्वीकृत सोपस्टोन खनन पट्टे की पूर्ण पत्रावली का अवलोकन अधोहस्ताक्षरी द्वारा किया गया जिसके माध्यम से निम्न तथ्य संज्ञान में आये:-

उपजिलाधिकारी बागेश्वर के पत्र संख्या 1406/रीडर-खनन जांच/2020-21 दिनांक 29 जुलाई, 2021 में दिये गये निर्देशों के अनुसार, तहसीलदार, बागेश्वर के पत्र संख्या 29/बी0सी0-विविध-2021/खनन, दिनांक 03 अगस्त 2021 के द्वारा अवगत कराया गया कि दिनांक 30.07.2021 को राजस्व उपनिरीक्षक चौरा, सर्वेक्षक खनन के द्वारा स्थलीय निरीक्षण किया गया। मौके पर पट्टाधारक द्वारा खनन किये हुये गड्डे नहीं भरे गये है, जिस कारण से माईन क्षेत्र में लगातार भूस्खलन हो रहा है। उक्त भूस्खलन में श्री बल राम पुत्र लछम राम का गौशाला/आफर पूर्ण रूप रूप से क्षतिग्रस्त हुआ है, तथा स्थलीय जांच के दौरान ग्रामवासियों द्वारा अवगत कराया गया कि पट्टाधारक के द्वारा संबंधितों को शेष देय धनराशि का भुगतान नहीं किया गया तथा ग्रामीणों का कथन यह भी था कि पट्टाधारक उनके मकान की सुरक्षा करे, साथ ही जो धनराशि शेष बची है उसका भुगतान उन्हे करने तथा उक्त पत्र के माध्यम से नियमानुसार कार्यवाही करते हुये निरस्त करने हेतु संयुक्त निरीक्षण आख्या उपजिलाधिकारी, बागेश्वर को पत्र प्रेषित की गयी। जिसके क्रम में उपजिलाधिकारी, बागेश्वर द्वारा अपने पत्र संख्या 1476/रीडर-खनन/जांच/2020-21 दिनांक 19 अगस्त, 2021 के माध्यम से जिलाधिकारी बागेश्वर को अवगत कराते हुये कि खनन क्षेत्र में भूस्खलन से कई वृक्ष व आम सार्वजनिक रास्ते भी क्षतिग्रस्त हो गये है। मौके की स्थिति के अनुसार खनन पिट को भरा जाना आवश्यक है के क्रम में पट्टाधारक को बार-बार निर्देशित करने उपरान्त भी पट्टाधारक द्वारा उक्त खनन पिट को न भरा जाना तथा खनन क्षेत्र में सम्भावित भूस्खलन की रोकथाम के सुरक्षात्मक उपाय न करना उत्तराखण्ड उप-खनिज परिहार नियमावली, 2001 के तहत खनन शर्तों के उल्लंघन के अन्तर्गत उपरोक्त शर्तों का पालन करने में पट्टाधारक असफल रहा है जिस कारण पट्टाधारक के पक्ष में स्वीकृत खनन पट्टे के निरस्त किये जाने की संस्तुति सहित आख्या अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु प्रेषित की गयी। इसी क्रम में उपजिलाधिकारी, बागेश्वर द्वारा अपने पत्र संख्या 1544/रीडर-खनन जांच/2020-21 दिनांक 04 सितम्बर, 2021 के द्वारा यथास्थिति से पुनः जिलाधिकारी बागेश्वर को अवगत कराया गया। तदुपरान्त कार्यालय जिलाधिकारी बागेश्वर के नोटिस संख्या 1188/तीस-खनन/2020-21, दिनांक 28.09.2021 से पट्टाधारक के विरुद्ध कारण बताओ नोटिस जारी करते हुये निर्देशित किया गया कि "नोटिस प्राप्ति के एक सप्ताह के भीतर अपना लिखित पक्ष पुष्ट साक्ष्यों सहित प्रस्तुत करे यदि नियत समयान्तर्गत आपका स्पष्टीकरण प्राप्त न होने पर यह समझा जायेगा कि आपको इस संबंध में कुछ नहीं कहना है और एक पक्षीय कार्यवाही कर दी जायेगी। उक्त के अतिरिक्त आगामी खनन सत्र में अग्रिम आदेशों तक खनन क्षेत्रान्तर्गत खनन कार्य पर रोक लगायी गयी"।

क्रमानुसार श्री आनंद सिंह कालाकोटी पट्टाधारक, पर्पो सोपस्टोन माईन, तहसील व जिला बागेश्वर द्वारा दिनांक रहित पत्र के माध्यम से अपना प्रतिउत्तर जिलाधिकारी कार्यालय में मयसंलग्न के साथ प्रस्तुत किया गया जिसके क्रम में पुनः जिलाधिकारी, बागेश्वर के पत्र संख्या 162/तीस-खनन/2020-21 दिनांक 20.11.2021 के द्वारा समस्त कमियों का निराकरण कर लिया गया है अथवा नहीं, के संबंध में अपनी संयुक्त स्थलीय सत्यापन आख्या यथाशीघ्र उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये। तदक्रम में उपजिलाधिकारी, बागेश्वर के पत्र संख्या 857/रीडर-खनन जांच/2021-22 दिनांक 19 अप्रैल, 2022 के क्रम में तहसीलदार, बागेश्वर द्वारा स्थलीय निरीक्षण आख्या से अवगत कराया गया कि पट्टाधारक द्वारा नोटिस के प्रतिउत्तर में उल्लिखित किसी भी प्रकार के कार्य को भौतिक रूप से खनन क्षेत्रान्तर्गत नहीं किया गया है तथा प्राप्त स्थलीय सत्यापन आख्या जिलाधिकारी बागेश्वर को अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित की गयी। प्राप्त आख्या के आलोक में जिलाधिकारी बागेश्वर के आदेश संख्या 628/तीस-खनन-नो0/(2018-19)/2022-23 दिनांक 06.06.2023 (संलग्न) से पट्टाधारक के विरुद्ध धनराशि रू0



Handwritten signature

~ 2

3,32,640.00 (रु0 तीन लाख बत्तीस हजार छः सौ चालीस रुपये मात्र) अधिरोपित करते हुए पुनः सुरक्षात्मक कार्य करने हेतु निर्देशित किया गया (ई-चालान संख्या 08530723E0002076 दिनांक 01.07.2023 के द्वारा रु0 3,32,640.00 को विभागीय लेखाशीर्षक में जमा किया जा चुका है)।

तदक्रम में पुनः जिलाधिकारी, बागेश्वर के पत्र संख्या 844 दिनांक 12 जून, 2023 के द्वारा श्री आनन्द सिंह कालाकोटी के प्रार्थना पत्र दिनांक 12.06.2023 जिसमें पूर्व में निर्गत आदेश के क्रम में समस्त सुरक्षात्मक कार्य स्थल पर कर लिये गये हैं तथा स्थल पर बन्द पड़े खनन कार्य एवं पोर्टल को संचालित करने का अनुरोध किया गया है के क्रम में उल्लिखित तथ्यों की जांच/स्थलीय सत्यापन हेतु उपजिलाधिकारी बागेश्वर को निर्देश दिये गये, जिसके क्रम में उपजिलाधिकारी बागेश्वर के पत्र संख्या 274 दिनांक 20.06.2023 के द्वारा प्रकरण में तहसीलदार बागेश्वर के माध्यम से प्राप्त जाँच आख्या अग्रिम कार्यवाही हेतु जिलाधिकारी कार्यालय को प्रेषित की गयी। जिलाधिकारी बागेश्वर के कार्यालय आदेश संख्या 1018/तीस-खनन-नो0(2018-19) 2022-23, दिनांक 24.06.2023 के द्वारा श्री आनन्द सिंह कालाकोटी पट्टाधारक को अवशेष स्टॉक की निकासी हेतु सत्यापन के उपरांत ई-रवन्ना पोर्टल खोलने की अनुमति प्रदान की गयी किंतु पूर्व दिये गये निर्देशानुसार अनुपालन करने तक खनन कार्य पर रोक यथावत् लगायी गयी।

निरन्तर प्राप्त हो रही शिकायतों के क्रम में श्री पूरन राम पुत्र खीम राम द्वारा मा0 उत्तराखण्ड अनुसूचित जाति आयोग में शिकायत दर्ज की गयी जिसके क्रम में मा0 उत्तराखण्ड अनुसूचित जाति आयोग द्वारा जिलाधिकारी बागेश्वर को सम्मन संख्या-2182 दिनांक 19.01.2024 के द्वारा आख्या प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्देशित किया गया। जिसके अनुपालन में जिलाधिकारी, बागेश्वर के पत्र संख्या 341 दिनांक 03.02.2024 के द्वारा मा0 आयोग के सम्मन संख्या-2182 दिनांक 19.01.2024 को आख्या उपलब्ध कराये जाने हेतु उपजिलाधिकारी बागेश्वर एवं जिला खान अधिकारी बागेश्वर को पत्र प्रेषित किया गया। जिसके संबंध में दिनांक 21.09.2024 को स्थल का निरीक्षण राजस्व उपनिरीक्षक चौरा, सर्वेक्षक खनन विभाग, सहायक खनिज पर्यवेक्षक द्वारा किया गया। स्थलीय निरीक्षण आख्या में उल्लेख किया गया कि "पट्टाधारक द्वारा प्रभावित परिवारों के भवनों के कार्य पूर्ण करने तथा सम्बन्धित काश्तकारों को अपने स्तर से उचित वार्तालाप कर मुआवजा प्रदान किये जाने के उपरान्त ही आगामी खनन सत्र में खनन कार्य को अनुमति प्रदान किया जाना उचित होगा"। जिसके सन्दर्भ में मा0 आयोग को जिलाधिकारी बागेश्वर द्वारा अपने पत्र संख्या 20/तीस-खनन-मा0अनु0आ0सं0/2024, दिनांक 09.10.2024 से पत्र प्रेषित किया गया। जिसके संबंध में पुनः कार्यालय जिलाधिकारी, बागेश्वर के पत्र संख्या 17/तीस-खनन-नोटिस/2024, दिनांक 08.10.2024 के द्वारा श्री आनन्द सिंह कालाकोटी पट्टाधारक को नोटिस प्रेषित करते हुए इंगित कमियों का निराकरण करने हेतु निर्देशित किया साथ ही यह भी निर्देशित किया गया।

इसी प्रकार जिलाधिकारी, बागेश्वर के कार्यालय आदेश संख्या 738/तीस-खनन-स्था0 आ0/2024-25 दिनांक 07.06.2024 के द्वारा सभी पट्टाधारकों को खनन कार्य से बने गड्ढों को समतल कर भूस्खलन आदि के बचाव के लिए निर्देश दिये गये। परन्तु उपजिलाधिकारी, बागेश्वर के पत्र संख्या 782 दिनांक 27 अगस्त, 2024 के द्वारा अवगत कराया गया कि पट्टाधारक को मौखिक एवं लिखित रूप से सूचना दिये जाने के बावजूद भी उनके द्वारा खनन क्षेत्र में बने गड्ढों को नहीं भरा जा रहा है जिस कारण खनन क्षेत्रान्तर्गत किसी भी प्रकार की जनहानि व पशुहानि की सम्भावना से इनकार नहीं किया जा सकता।

इसके अतिरिक्त अवगत कराना है कि Member Secretary, Uttarakhand Pollution Control Board, Dehradun के कार्यालय पत्र संख्या UKPCB/HO/C&M-179/2024/25 दिनांक 24.08.2024 (छायाप्रति संलग्न) के द्वारा मै0 आनन्द सिंह कालाकोटी सोपस्टोन माईन, ग्राम पपों, तहसील व जनपद बागेश्वर नोटिस प्रेषित किया गया जिसमें उल्लेखित है कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकारी द्वारा मूल आवेदन संख्या 453/2023 श्री रघुवीर सिंह द्विधा बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य में दिनांक 01.11.2023 को पारित आदेश के अनुपालन में दिनांक 14.09.



Handwritten signature

2023 एवं दिनांक 24.07.2024 को प्रश्नगत माईन का संयुक्त निरीक्षण किया गया जिसमें निम्न आदेश दिये गये जो निम्नवत् है:-

As SUCH, it is evident from the above observations that Unit is violating the provisions of Water (Prevention and Control of Pollution) Act- 1974 and Air (Prevention and Control of Pollution) Act-1981; and

Now Therefore, in exercise of the power conferred under Section 33(A) OF Water (Prevention and Control of Pollution) Act-1974 and Section 31 (A) of Air (Prevention and Control of Pollution) Act-1981 as amended from time to time, M/s Anand Sing Kalakoti Soapstone mine, Vill-Papaun, Tehsil& Distt-Bageshwar is hereby directed:-

1. To close down your Unit with immediate effect.
2. To deposit Rs. 10,08,000/- (Rupees Ten Lakh Eight Thousand only) as Environmental compensation as first phase of violation in favor of Uttarakhand Pollution Control Board payable in the form of demand draft at Dehradun.

उक्त के क्रम में जिलाधिकारी, बागेश्वर के पत्र संख्या 970/तीस-खनन-विविध/2024, दिनांक 21.09.2024 के द्वारा उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून के पत्र दिनांक 24.08.2024 से दिये गये निर्देशों के परिपालन में मै० आनन्द सिंह कालाकोटी सोपस्टोन माईन, ग्राम पपों, तहसील व जनपद बागेश्वर को निर्देशित किया गया कि उक्त सोपस्टोन खनन क्षेत्रान्तर्गत खनन कार्य को अग्रिम आदेशों तक बन्द/स्थगित रखते हुए उपजिलाधिकारी बागेश्वर द्वारा उपलब्ध करायी गयी उक्त आख्या के आलोक में खनन क्षेत्र के गड्ढों में पानी भर जाने से खनन क्षेत्रान्तर्गत जनहानि व पशुहानि की सम्भावना के दृष्टिगत उपजिलाधिकारी बागेश्वर व प्र० जिला खान अधिकारी, बागेश्वर के पर्यवेक्षण में खनन क्षेत्र में बने गड्ढों को भरवाये जाने की कार्यवाही भी किया जाना सुनिश्चित करें।

उक्त के अतिरिक्त यह भी अवगत कराना है कि क्षेत्रीय अधिकारी, कार्यालय उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड हल्द्वानी, नैनीताल के पत्रांक: यूकेपीसीबी/आर०ओ०एच०/रिट/स० 453/2023/1702-784 दिनांक 16.10.2024 जो जिला खान अधिकारी, बागेश्वर को सम्बोधित एवं सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड देहरादून, जिलाधिकारी बागेश्वर को पृष्ठांकित है के साथ बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक यूकेपीसीबी/एचओ/सी०एण्ड०एम०/-179/2024/25 दिनांक 24.08.2024 की प्रति संलग्न करते हुए मुख्यालय से निर्गत आदेशों के अनुपालन में उक्त खनन पट्टाधारक का पोर्टल बंद करने हेतु निर्देशित किया गया। पुनः बोर्ड मुख्यालय देहरादून के पत्रांक: यूकेपीसीबी/एचओ/सी०एण्ड०एम०/-179/K-80/2024/1392, दिनांक 25.11.2024 के द्वारा सम्बन्धित पट्टाधारक को निर्देशित किया गया कि पत्र प्राप्ति के एक सप्ताह के अन्दर आरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि रु० 10,08,000/- डिमान्ड ड्राफ्ट के माध्यम से बोर्ड मुख्यालय में जमा करना सुनिश्चित करें, जिससे मा० एन०जी०टी० द्वारा पारित आदेशों का अनुपालन कराया जा सके। यदि पट्टाधारक द्वारा उक्त आरोपित धनराशि जमा नहीं की जाती तो उक्त धनराशि की वसूली जिलाधिकारी बागेश्वर के माध्यम से भू-राजस्व की भांति की जायेगी, के संबंध में पत्र प्रेषित किया गया।

सहायक भूवैज्ञानिक भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, जनपद बागेश्वर द्वारा कार्यालय जिलाधिकारी बागेश्वर के पत्र संख्या 245(i)/शि०ज०शि०/2024, दिनांक 27.09.2024 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में दिनांक 21.09.2024 एवं 07.12.2024 को भूगर्भीय जांच करते हुए अपने पत्रांक संख्या 943 भू०खनि०वि०बागे०/भू०विज्ञान/2024-25 दिनांक 09.12.2024 के साथ संलग्न निरीक्षण आख्या में प्रश्नगत स्थल संवेदनशील प्रतीत होता है जिस कारण प्रभावित स्थल में सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से निवासरत परिवार का विस्थापन अन्यत्र सुरक्षित स्थान पर किया जाना उचित होगा, का निष्कर्ष दिया गया।

अवगत कराना है कि उत्तराखण्ड शासन औद्योगिक विकास (खनन) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या 204/VII-1/2024-74(ख)/2001, दिनांक 01 मार्च, 2024 के द्वारा मैसर्स भगवते वासुदेवाय माईन्स एण्ड



Handwritten signature

मिनरल्स (भागीदार 1- श्री विशाल भण्डारी पुत्र श्री राम सिंह भण्डारी, गली नं० 25, कृष्णा नगर रूड़की, सलेमपुर रूपथान, रूड़की हरिद्वार, 2- श्रीमती कमलेश लाल पत्नी श्री नरेश कुमार, बी-18 द्वितीय तल, मोतीनगर, रमेशलनगर, एच०ओ० वेस्ट दिल्ली, 3- श्री ललित मोहन जोशी पुत्र श्री महेश चन्द्र जोशी, तहसील रोड बागेश्वर, 4- श्री आनन्द सिंह कालाकोटी पुत्र श्री दीवान सिंह कालाकोटी, दोफाड़, बागेश्वर) के पक्ष में जनपद व तहसील बागेश्वर के ग्राम पपों के क्षेत्रान्तर्गत 2.81 एकड़ अर्थात् 1.14 हे० भूमि पर स्वीकृत सोपस्टोन खनन पट्टे संक्रमण (Transfer) की अनुमति प्रदान की गयी। यह भी अवगत कराना है कि मै० आनन्द सिंह कालाकोटी सोपस्टोन माईन, ग्राम पपों, तहसील व जनपद बागेश्वर से सम्बन्धित प्रकरण वर्तमान में मा० राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण में मूल आवेदन संख्या 453/2023 श्री रघुवीर सिंह गढ़िया बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य विचाराधीन है।

संबंधित सोपस्टोन खनन पट्टे की पत्रावली का अवलोकन करने के उपरान्त अधोहस्ताक्षरी द्वारा उक्त सोपस्टोन खनन पट्टे का दिनांक 24 मई, 2025 को निरीक्षण किया जिसमें मौके पर देखा गया कि उक्त क्षेत्र में हो रहे भूस्खलन से लगभग 50 मी० की दूरी में मोटर मार्ग स्थित है (फोटोग्राफ संलग्न) यदि भविष्य में खनन कार्य उक्त स्थल पर किया जाता है तो उक्त मोटर मार्ग एवं आस-पास निवासरत भवनों को भी क्षति पहुंचने की संभावना है।

उपरोक्तानुसार पत्रावली के अवलोकन से यह संज्ञानित होता है की पट्टाधारक के विरुद्ध प्रत्येक वर्ष निरंतर शिकायत प्राप्त हुई हैं जिनमें जांच के आधार पर पट्टाधारक को निरंतर सुरक्षात्मक कार्य हेतु निर्देश दिये गये हैं परन्तु पट्टाधारक द्वारा विभागीय निर्देशों का पूर्णतः पालन नहीं किया गया इसके अतिरिक्त भूवैज्ञानिक की आख्या एवं परगना समिति द्वारा दी गई आख्या से स्पष्ट है कि उक्त क्षेत्र में भूस्खलन है जिससे भविष्य में दुर्घटना होने की सम्भावना विद्यमान है। अतः समस्त तथ्यों के दृष्टिगत श्री आनन्द सिंह कालाकोटी पुत्र श्री दीवान सिंह कालाकोटी निवासी ग्राम व पोस्ट दोफाड़, जनपद व तहसील बागेश्वर के पक्ष में जनपद व तहसील बागेश्वर ग्राम पपों के क्षेत्रान्तर्गत 2.81 एकड़ अर्थात् 1.14 हे० क्षेत्रफल में 30 वर्ष की अवधि हेतु स्वीकृत सोपस्टोन खनन पट्टे को माईन क्लोजर प्लान के अनुसार वैज्ञानिक विधि से पिट बंद करने के संबंध में निर्देशित करते हुए उक्त माईन को निरस्त करने हेतु उपरोक्तानुसार आख्या आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।
संलग्नक: उपरोक्तानुसार।

भवदीया,
Najia Hasan
(नाजिया हसन),
खान अधिकारी
बागेश्वर।

संख्या: /भू०खनि०वि०/खनन/जन०बागे०/2025-26, तददिनांकित।
प्रतिलिपि, निम्नांकित को उक्तानुसार सूचनार्थ एवं कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तराखण्ड "खनिज भवन" देहरादून।
2. सदस्य सचिव, राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, उत्तराखण्ड "गौरा देवी पर्यावरण भवन, तृतीय तल, 46-बी, आई०टी० पार्क, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून।
3. क्षेत्रीय कार्यालय उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आवास विकास कालोनी, हल्द्वानी नैनीताल।

खान अधिकारी
बागेश्वर।



Hasan



Regional Office
Uttarakhand Pollution Control Board
 Awas Vikas Colony, Haldwani, (Nainital)
 Ph No.- 05946-225618, 221532 Web Site-www.ueppcb.uk.gov.in

Ref: UKPCB/ROH/ Ac/25/1878-900

Date- 26/09/25

To,

The Member Secretary,
 Uttarakhand Pollution control Board,
 Gaura Devi Paryavaran Bhawan,
 46-B, IT Park, Sahastradhara Road,
 Dehradun.

Sub: -Regarding the order passed in original application No-453/2023 Raghuveer Singh Gadiya Vs State of Uttarakhand & Ors filed in Hon'ble NGT.

Respected Sir,

Please find that in compliance with the Board Head Office Letter No- UKPCB/HO/Gen-183-713/2025/901 dated 16.06.2025 on the above subject, the site in question has been inspected on 21.09.2025 by the committee constituted to the study impact of mining operation on the Ecological & Environmental stability of the Geo-Tectonic Zones in the area in question.

Therefore the report of the joint committee on the above matter along with its attachments is respectfully requested for further necessary action.

Sincerely

Anurag Negi
 (Anurag Negi)
 Regional Officer

Copy to:


1. Member Secretary, State Level Environmental Impact Assessment Authority, Dehradun for kind information, please.
2. District Magistrate Bageshwar for kind information, please.
3. Director, G.B. Pant National Himalayan Environment Institute, Koshi Katarmal Almora for kind information, please.

Regional Officer



Anurag

Field Survey Report
APPLICATION NO. 453/2023
(I.A. No.225/2024)



Signature

NOTARY
Signature
GOVT. U.K. (INDIA)

P. S. PARIHAR
DIST. M. CESHWAR
REG. NO. 412
2023

Signature

Signature

Joint inspection report of the committee constituted in compliance with the order dated 22.04.2021 passed in Original Application No. 453/2023 Raghuveer Singh Gadiya Vs State of Uttarakhand filed in Hon'ble National Green Tribunal, New Delhi.

Background:-

Hon'ble National Green Tribunal, New Delhi passed order on 22.04.2025 in case No.453/2023 Raghuveer Singh Gadiya Vs State of Uttarakhand & Ors. The effective portion of the order is as follows-

29. In the present case, such study may be conducted by a Joint Committee comprising SEIAA, a representative of UKPCB, a nominee of G.B Pant National Institute of Himalayan Environment, Almora and any other expert which the above committee find appropriate to be included for the purpose of the above Stated study.

32. A compliance report shall also be submitted by 30.09.2025 before Registrar General of this Tribunal by UKPCB and District Magistrate, Bageshwar. If find any further order is required, Registrar General of this Tribunal shall get the matter placed before the concerned Bench.

33. With the above directions, OA is disposed of.

34. Pending LA also stands disposed of accordingly.

35. Copy of this order be forwarded to SEIAA, Uttarakhand Director, G.B Pant National Institute of Himalayan Environment, District Magistrate, Bageshwar and UKPCB for information and compliance.

A Copy of the order passed by Hon'ble NGT is inclosed. (Annexure-01)

In accordance with the above, a field inspection of the area in question was conducted on 20.09.2025 by the members of the committee constituted by the Board Head Office Letter No. UKPCB/HO/Gen-183-713/2024/513 dated 16.06.2025. Attendance at the joint inspection as follows:- (Annexure-02)

1. Dr. Ashutosh Gautam, Member SEAC, Dehradun Uttarakhand.
2. Dr. Aseesh Pandey, Scientist-C G.B Pant National Institute of Himalayan Environment, Koshi Katarmal, Almora.
3. Harish Chandra Joshi, Asst. Scientific Officer, Uttarakhand Pollution Control Board Haldwani.

Members of the Constituted Committee Conducted a field inspection of the M/s Anand Singh Kalakoti Soapstone Mine in the village of Papon, Tehsil & Distt:-Bageshwar and the area. Based on the on-site inspection & available documents, the report is as follows:-

1. M/s Anand Singh Kalakoti Soapstone Mine is situated at the village of Papon, Tehsil & Distt:-Bageshwar & in favour of the lessee, mining lease of mineral soap stone was approved for a period of 20 years in total area of 2.81 acers i.e, 1.14 Hect. within the area of village of Papon, Tehsil & Distt:-Bageshwar by Industrial Department Section-1, Uttarakhand Govt. Office Memorandum No-2424/Ind.Dept/74-Kha/2001 dated 08.02.2002. The said mining lease deed was registered in sub registrar office Bageshwar on 22.02.2002, in view of the expiry of its time period on 21.02.2022, as per the provision of Uttarakhand Minor Mineral Policy-2015 (as amended from time to time) by Govt order No-2250/VII-A-1/2021-74 Kha/2001 of industrial development section-1, to Shri Anand Singh Kalakoti s/o Shri Diwan Singh Kalakoti, resident of Village-Dofar, Tehsil & Distt:-Bageshwar.further District Mining Officer Bageshwar has been sent report to the District Megistrate Bageshwar for cancellation of the said mine by giving instruction regarding closure of the pit in a scientific manner as per mining clouser plan. (Annexure-03)



47

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

2. State level Environment Impact Assessment Authority, Uttarakhand, Indra Nagar Colony Seema Dwar Road Dehradun (Constituted by Ministry of Environment Forest and Climate Change, Govt of India, New Delhi) has been grant Environment Clearance by Letter No-E.C No.-74-01(37)/2018 dated 06.12.2019 in favour of Mr. Anand Singh Kalakoti S/o Diwan Singh Kalkoti resident of Village-Dofar, Tehsil & Distt:- Bageshwar for 5105 to 7184 Tonnes per year. Now which is suspended. (Annexure-04)
3. The approval of mining plan & progressive mine closure plan in relation to mineral production has been approved by the office memorandum No.3489/Mu.kha./Mining/65/Soapstone/Bageshwar/Bhu.Kha.Ni.ikai/2010-2011 dated 08.12.2022 og Geology & Mining unit, Directorate of Industries, Uttarakhand, Bholapani, Post-Badani, Dehradun, Subjected to various Condition/restrictions. (Annexure-05)
4. In view of environmental pollution, Head Office, Uttarakhand Pollution Control Board Letter No. Dated 22.05.2023 conditional Consent to Operate (CTO) has been issued up to 31.03.2024 to M/s Anand singh Kalakoti S/O Diwan Singh Kalakoti resident of Village-Dofar, Tehsil & Distt:-Bageshwar. Futher as per Letter No UKPCB/HO/C&M-179/2024/2025 dated 24.08.2024 Board Head Office, Dehradun directions have been issued to stop the mining work in above mentioned soapstone mining area till further order by the imposing environmental compensation of Rs. 10,08000/- (Rupees Ten Lakh Eight Thousand Only) (Annexure-6)

Assesment of the impact of the mining operation on environmental/ecology sustainability/ in the area-

The mining site is located in the Papon village of Bageshwar district . The area is nestled between agricultural lands on two sides and an Oak-Pine mixed forest on the lower side, connecting to the downstream water channel of Saryu River, and on the upper side, it is demarked by a motorable road adjoining the upper pine forest. The mining sites lack proper boundary demarcation, and a retaining wall on the down slope was also absent. Overall, the area seems biodiversity-rich, but the mining activity has led to the introduction/spread of invasive species in and around the site. The whole area, including the mining pit, overburden and connecting road, was observed to be largely invaded by the invasive species. As per the locals, the mining activities have been closed at the sites since 2023. The impact assessment of the mining site was not possible due to the data gap, as the comparison of pre-site establishment data and post mining assessment may have provided some evidence. However, a few observations are listed below.

- The mining area is under a secondary succession process, and most of the area has been covered by sparse vegetation, mostly herbaceous and shrub species, and no recruitment of tree seedlings and saplings was observed.
- Along the site, common tree species were *Quercus leucotrichophora*, *Pinus roxburghii*, *Toonacillata*, *Rhododendron arboretum*, *Myrica esculenta*, *Debregea siaedulis* etc; likewise, *Ageratina adenophora* was among the dominant shrub species, followed by *Rumex hastatus*, *Rubus ellipticus*, etc; and *Cynoglossum sp.*, *Poa sp.*, *Artemisia sp.*, *Rubiocordifolia* were the common herbs. In the surrounding agricultural land, finger millet, soybeans, bananas, and cucurbit species were observed as major crops.
- The native biodiversity seems impacted by the mining site, and phytodiversity was largely invaded by invasive species such as *Ageratina adenophora* (commonly known as Crofton weed), *Parthenium hysterophorus* (commonly known as famine weed), *Xanthium strumarium* (commonly known as common



ST

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Cocklebur and Chota dhatura), *Rumex hastatus*, etc. and can pose a threat to native biodiversity and nearby agricultural land by over competing them.

- During site visit it was observed that mine pit is still open and rain water gets accumulated. The accumulated rain water is overflowing to nearby drainage system through slopes, which is ultimately going to Saryu River. The water is carrying mud and other materials to the drainage system. This may affect the downstream soil erosion and may affect the downstream aquatic ecosystem, especially the spawning of endangered *Tor putitora* (commonly known as Golden mahseer or Himalayan mahseer).
- Slopes surrounding the mine pit also getting destabilized due to rain and may result in the land slide.
- Overburden stocked in the nearby land may also slip down to the lower part of the hilly terrain due to heavy rain fall. This may affect the nearby trees and may block the drainage system.
- The effects of mining activity on the surrounding environment from the visited mine may not be envisaged as mining activity is suspended. It is proposed that the study on the effects of mining activity on the surrounding environment may be carried out when mining operation will be started.
- It is proposed that the mine pit shall be closed with the stored overburden to avoid the incidence of land slide, water accumulation in pit and surrounding environment. Retaining wall shall also be made on the lower part of mine site before closing the mine pit to avoid the slippage of overburden.

Precautionary measures:

1. Effective management of invasive species is required.
2. Construction of a retention wall may help in stabilizing the area.
3. Filling up the mining pit is required to avoid waterlogging and future landslide/subsidence probabilities.
4. Land restoration through the planting of multipurpose tree species can be promoted, and/or the area can be converted into an agricultural field by shaping the area into fields.
5. Land stabilizing plant species, such as vetiver grass and bamboo species, can be planted in the landslide-prone areas.
6. Regular monitoring of biodiversity change is required, such as the impact of mining dust on plant photosynthetic activity and regeneration capacity etc.

Conclusion:-

Mining has provided a livelihood option to the locals residing in the far fringe areas of the border district; the closure has impacted their livelihood to some extent. As per the residents adjacent to the mining area, the mining closure is causing a delay in getting the proposed compensation (house) from the mine owner. Thus, there is a need to create a win-win situation, ensuring sustainable and wise use of resources, and protecting native biodiversity and the environment. Soapstone mining has not been carried out in the area since the year-2023 & cancel the mining lease. Further the Industrial Dept Section-1 of the Govt. of Uttarakhand Letter No. 2199/VIII- of mine lease based on In-Situ to rocks on ecological stability of Geo Tectonic Zone, Seismic Stability Micro



AGT


[Handwritten signature]

[Handwritten signature]


Earthquake Monitoring, Monitoring of ground deformation caused by mining activity of slope subsidence and slope stability analysis. As per above the joint report submitted for necessary action please.(Annexure-07)

Site Photographs Attached as enclosure (Annexure-08)




Asst. Scientific Officer
UKPCB Haldwani

Scientist-C
NIHE Koshi Katarmal, Almora.


Member SEAC
Dehradun Uttarakhand

NOTARY
GOVT U.K (INDIA)

P. S. PARIHAR
DISTT - BAGESHWAR
REG NO - 412
2003



28 AUG 2025

संख्या-2119 /VII-A-1 /2025-09(104) /2023

प्रेषक,

बृजेश कुमार संत,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

देहरादून, दिनांक 2 अगस्त, 2025

औद्योगिक विकास (खनन) अनुभाग-1

विषय: स्वस्थानों (In-situ) चट्टानों पर आधारित खनन पट्टों के संचालन हेतु दिशा-निर्देश/प्रक्रिया का निर्धारण।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा मूल आवेदन सं0 78/2023 दुर्गा सिंह पंवार बनाम राजेन्द्र सिंह दफौटी व अन्य में पारित आदेश दिनांक 08.11.2024 के समादर में राज्य क्षेत्रान्तर्गत विभिन्न भू-विवर्तनीय क्षेत्रों (Geo-Tectonic Zones) के पारिस्थितिकी एवं पर्यावरणीय स्थायित्व पर खनन सक्रियताओं से पड़ने वाले प्रादुर्भावों का भूकम्पीय स्थायित्व (Seismic Stability) के अध्ययन हेतु गठित विशेषज्ञ समिति की उपलब्ध संस्तुति दिनांक 28.06.2025 के सन्दर्भ में स्वस्थानों (In-situ) चट्टानों पर आधारित खनन पट्टों के सम्बन्ध में सम्बन्धित खनन क्षेत्रों के Micro earthquake monitoring, Monitoring of ground deformation caused by mining activities or slope subsidence एवं Slope stability analysis के अध्ययन हेतु निम्न प्रक्रिया/दिशा-निर्देश निर्धारित किये जाते हैं:-

1. राज्य क्षेत्रान्तर्गत स्वीकृत स्वस्थानों (In-situ) चट्टानों पर आधारित खनन पट्टा क्षेत्रों के Micro earthquake monitoring using a local seismic network का कार्य महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग द्वारा वाडिया हिमालय भूविज्ञान संस्थान, देहरादून (Wadia Institute of Himalayan Geology, Dehradun) से कराया जायेगा।
2. स्वस्थानों (In-situ) चट्टानों पर आधारित स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्रों के SAR based satellite technique के माध्यम से ground deformation caused by mining activities or slope subsidence की monitoring का कार्य महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग द्वारा भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान, देहरादून (Indian Institute of Remote Sensing, Dehradun) से कराया जायेगा।
उक्त कार्य हेतु महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग द्वारा सम्बन्धित संस्थानों से व्यय-भार की सूचना प्राप्त करते हुए शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।
3. स्वस्थानों (In-situ) चट्टानों पर आधारित स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्रों के Slope Stability Analysis के अध्ययन कार्य हेतु भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) रुड़की के पत्र दिनांक 08.08.2025 (प्रति संलग्न) द्वारा सुझाये गये मानक व मापदण्ड को महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग द्वारा Expression of Interest के माध्यम से प्रदर्शित करते हुए Slope Stability Analysis का कार्य करने वाली निजी फर्म/कम्पनी/इकाईयों को तदनुसार उक्त मानकों/मापदण्डों के अनुसार Slope Stability Analysis कार्य कराये जाने हेतु सूचीबद्ध किया जायेगा।
4. महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग द्वारा Expression of Interest के माध्यम से Slope stability analysis के कार्य हेतु चयनित निजी फर्म/कम्पनी/इकाईयों को एक माह के भीतर सूचीबद्ध किया जायेगा। उक्तानुसार सूचीबद्ध फर्म/कम्पनी/इकाई द्वारा Slope Stability Analysis अध्ययन कार्य उपरान्त अध्ययन आख्या को सम्बन्धित पट्टाधारक द्वारा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) रुड़की से Review/Vett कराते हुए पट्टा स्वीकृति से पूर्व महानिदेशक, भूतत्व एवं




Handwritten signature

खनिकर्म विभाग को उपलब्ध कराया जाना आवश्यक/अपरिहार्य होगा, जिसके उपरान्त ही खनन पट्टा स्वीकृति की कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।


5. जनपद बागेश्वर के स्वस्थानों (In-situ) चट्टानों के सोपस्टोन खनन क्षेत्रों हेतु मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में शासन द्वारा भूगर्भीय अध्ययन कार्य हेतु गठित विशेषज्ञ समिति की संस्तुतियों को भी Slope Stability Analysis के अध्ययन कार्य में समावेशित किया जायेगा।
6. स्वस्थानों (In-situ) चट्टानों के नवीन पट्टों की स्वीकृति से पूर्व सम्बन्धित आवेदक/आशयपत्र धारक द्वारा Slope Stability Analysis की अध्ययन रिपोर्ट/आख्या भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग में प्रस्तुत की जानी अनिवार्य होगी, जिसके उपरान्त ही पट्टा स्वीकृति की कार्यवाही की जायेगी।
7. पूर्व से स्वीकृत/संचालित स्वस्थानों (In-situ) चट्टानों के खनन पट्टों के सम्बन्ध में सम्बन्धित पट्टाधारकों द्वारा Slope Stability Analysis की अध्ययन रिपोर्ट/आख्या अधिकतम 04 माह के भीतर भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग में प्रस्तुत की जानी होगी। उक्त समय-सीमा तक अपेक्षित अध्ययन रिपोर्ट/आख्या विभाग में उपलब्ध न कराये जाने की दशा में खनन कार्य प्रतिबन्धित कर दिया जायेगा तथा यह प्रतिबन्ध उक्त अध्ययन रिपोर्ट प्राप्त होने तक यथावत रहेगा।
8. स्वस्थानों (In-situ) चट्टानों के खनन पट्टों के Slope Stability Analysis के अध्ययन कार्य में होने वाला समस्त व्यय सम्बन्धित आवेदक/पट्टाधारक द्वारा स्वयं वहन किया जायेगा।

अतः उक्तानुसार निर्धारित प्रक्रिया/मापदण्ड के अनुरूप समयान्तर्गत कार्यवाही सुनिश्चित कराते हुए तदनुसार शासन को कृत कार्यवाही से अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

 (बृजेश कुमार संत)
 सचिव

संख्या: 2119 (1)/VII-A-1/2025-09(104)/2023, तददिनांकित।
 प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. मण्डलायुक्त, गढ़वाल/कुमाऊँ।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
3. सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, उत्तराखण्ड।
4. सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून।
5. निदेशक, भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान, देहरादून।
6. निदेशक, वाडिया हिमालय भूविज्ञान संस्थान, देहरादून।
7. निदेशक, आई0आई0टी0 रुड़की।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

 (हनुमान प्रसाद तिवारी)
 उप सचिव





प्रेषक,

जिलाधिकारी,
बागेश्वर।

सेवा में,

रजिस्ट्रार जनरल,
मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण,
फरीदकोट हाऊस, कॉपरनिकस मार्ग,
नई दिल्ली - 110001।

संख्या: 17 / तीस-खनन-मा0एन0जी0टी0 / 2025 दिनांक: 15 / 10 / 2025
विषय: मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या: 453/2023 रघुबीर सिंह गढ़िया बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, द्वारा पारित आदेश दिनांक 22.04.2025 का अनुपालन विषयक।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या: 453/2023 रघुबीर सिंह गढ़िया बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 22.04.2025 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

उक्त क्रम में अवगत कराना है कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा मूल आवेदन संख्या: 453/2023 रघुबीर सिंह गढ़िया बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में दिनांक 03.04.2024 को पारित आदेश के अनुपालन में जिला खान अधिकारी, बागेश्वर द्वारा कार्यालय नोटिस संख्या: 58/भू0खनि0वि0/जन0बागेश्वर0/नोटिस/2023-24 दिनांक: 06.05.2024 से श्री आनन्द सिंह कालाकोटी के पक्ष में स्वीकृत सोपस्टोन खनन पट्टा क्षेत्रान्तर्गत अग्रिम आदेशों तक खनन कार्य बन्द रखने हेतु निर्देशित किया गया है।

इसके अतिरिक्त सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, देहरादून के कार्यालय पत्र संख्या: UKPCB/HO/C&M-179/2024/25 दिनांक 24.08.2024 के अनुपालन में इस कार्यालय के नोटिस संख्या: 970/तीस-खनन-विविध/2024 दिनांक: 21.09.2024 से भी पट्टाधारक को खनन क्षेत्रान्तर्गत अग्रिम आदेशों तक खनन कार्य बन्द/स्थगित रखने हेतु भी निर्देशित किया गया है।

उल्लेखनीय है कि मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या: Suo Moto (PIL) No. 174 of 2024 में न्यायालय द्वारा दिनांक: 06.01.2025 एवं दिनांक 10.01.2025 को पारित आदेश से "जनपद बागेश्वर में खनन संक्रियाओं को तत्काल स्थगित/Suspend किया गया है"।

प्रकरण पर मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक: 22.04.2025 के प्रस्तर संख्या: 29 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, हल्द्वानी, नैनीताल द्वारा कार्यालय पत्र संख्या: UKPCB/ROH/रिट/25/1878-900 दिनांक: 26.09.2025 से 1. उत्तराखण्ड प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, देहरादून, 2. राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, उत्तराखण्ड एवं 3. पं0 गोविन्द बल्लभ पन्त नेशनल इन्स्टीट्यूट ऑफ हिमालयन एन्वायरन्मेण्ट, अल्मोड़ा के विभागीय अधिकारियों की उपस्थिति में दिनांक: 20.09.2025 को प्रश्नगत क्षेत्र के कृत संयुक्त निरीक्षण आख्या की प्रति उपलब्ध करायी गयी है।

कमशः--2



1

Annex

-2-

उक्त के अतिरिक्त अवगत कराना है कि श्री आनन्द सिंह कालाकोटी के पक्ष में ग्राम पपों क्षेत्रान्तर्गत स्वीकृत सोपस्टोन खनन पट्टे के निरस्तीकरण के सम्बन्ध में आख्या इस कार्यालय के पत्र संख्या: 571/तीस-25/खनन/2025-26 दिनांक: 14.07.2025 से महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून को प्रेषित की जा चुकी है।

प्राप्त उक्तानुसार वस्तुस्थिति / संयुक्त निरीक्षण आख्या इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि आप उक्तानुसार आख्या मा0 अधिकरण के संज्ञान में लाने का कष्ट करेंगे।

संलग्नक - यथोपरि।

भवदीय

(आशीष कुमार भटगाँई)
जिलाधिकारी बागेश्वर।

संख्या एवं दिनांक उक्तानुसार।

प्रतिलिपि, जिला खान अधिकारी बागेश्वर को उपरोक्त सूचनार्थ एवं इस निर्देश के साथ प्रेषित कि प्राप्त संयुक्त निरीक्षण आख्या दिनांक: 20 सितम्बर 2025 की प्रति अधोहस्ताक्षरी की ओर से मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में दाखिल किया जाना सुनिश्चित करेंगे।

(आशीष कुमार भटगाँई)
जिलाधिकारी बागेश्वर।



Apurva

भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग,
बागेश्वर।

E-Mail address:- geologistbageshwar@gmail.com

संख्या १८५ / भूखनि०वि० / खनन / जन०बागेश्वर / 2025-26,

दिनांक: २२/०१/२०२६

पट्टाखानक/खान प्रबन्धक,
समस्त सोपस्टोन/मैग्नेसाइट,
जनपद बागेश्वर।

विषय:- राज्य अन्तर्गत स्वस्थाने (In-situ) चट्टानों पर आधारित स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्रों के Slope Stability Analysis का अध्ययन कार्य किये जाने के संबंध में

कृपया उपरोक्त विषयक निदेशालय के पत्र संख्या 5013/मु०ख० VII(i) /244/भू०खनि० निदे०/2025-26, दिनांक 27 नवम्बर, 2025 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से उत्तराखण्ड शासन, औद्योगिक विकास (खनन) अनुभाग-1 के पत्र संख्या 2119/VII-A-1/2025-09(104)/2023 दिनांक 27 अगस्त, 2025 के माध्यम से मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा मूल आवेदन सं० 78/2023 दुर्गा सिंह पंवार बनाम राजेन्द्र सिंह दफौटी व अन्य में पारित आदेश दिनांक 08.11.2024 के समादर में राज्य अन्तर्गत स्वस्थाने (In-situ) चट्टानों पर आधारित स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्रों के Slope Stability Analysis के अध्ययन कार्य हेतु भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) रुड़की के पत्र दिनांक 08.08.2025 द्वारा सुझाये गये मानक व मापदण्ड को Expression of Interest के माध्यम से प्रदर्शित करते हुए Slope Stability Analysis का कार्य करने वाले निजी फर्म/कम्पनी/इकाईयों को तदनुसार उक्त मानकों/मापदण्डों के अनुसार कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में सूचीबद्ध किये जाने हेतु दिये गये निर्देशों के अनुपालन में राज्य अन्तर्गत स्वस्थाने (In-situ) चट्टानों पर आधारित स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्रों के Slope Stability Analysis के अध्ययन कार्य हेतु निम्नलिखित कम्पनियों की सूचीबद्ध (Empanelment) किया गया है:-

क्र०सं०	फर्म/कम्पनी का नाम	दूरभाष नम्बर	ई-मेल आई०डी०
01	Safe Mine Tech Solutions (I) Private Limited, C-635, Khaturia Colony, Bikaner, Rajasthan	76270 97188	info@safeminetech.in
02	Geo Environmental Solutions 3 rd Floor, JMD Regent Arcade Mall, A-Block, DLF phase -1, Sector-28, Gurugram, Haryana, 122002	8826173376 9910046626	admin@geoes.in
03	SPA GEO TECHNOLOGIES PVT LTD, 8A Mahaluxmi Metro Tower, C2, Sector 4, Vaishali, Ghaziabad, Uttar-Pradesh, 2010	9910711900 9837721426	gangdas@spageo.co.in

उपरोक्त सूचीबद्ध (Empanelment) कम्पनियों के माध्यम से अपने पक्ष में स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्र की Slope Stability Analysis का कार्य सम्पन्न कराने उपरान्त अध्ययन आख्या को भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की से Review/Vett कराते हुए निर्धारित समयान्तर्गत निदेशालय उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

अतः उपरोक्त के क्रम में आपको निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त सूचीबद्ध (Empanelment) कम्पनियों के माध्यम से अपने पक्ष में स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्र की Slope Stability Analysis का कार्य सम्पन्न कराने उपरान्त अध्ययन आख्या को भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की से Review/Vett कराते हुए निर्धारित समयान्तर्गत निदेशालय उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

Nana Hasan
(नाजिया हसन)
खान अधिकारी,
बागेश्वर।
o/c

Nana Hasan
खान अधिकारी,
बागेश्वर।
o/c

संख्या १८५ / भूखनि०वि० / खनन / जन०बागेश्वर / 2025-26, तददिनांक।
प्रविलिप्त जिलाधिकारी महोदय, बागेश्वर को सादर सूचनार्थ प्रेषित।



Handwritten signature

भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तराखण्ड,
 "खनिज भवन" भोपालपानी, देहरादून
 (E-mail id - dir.ukdgm@gmail.com)

सेवा में,

समस्त सोपस्टोन/मैग्नेसाईट/
 लाईमस्टोन/सिलिका सैण्ड पट्टाधारक,
 उत्तराखण्ड।

संख्या 5013 /मु0ख0 VIII(i)/244/ भू0खनि0निदे0/2025-26,

दिनांक 27 नवम्बर, 2025

विषय:- राज्य अन्तर्गत स्वस्थानों (In-situ) चट्टानों पर आधारित स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्रों के Slope Stability Analysis का अध्ययन कार्य किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अवगत कराना है कि उत्तराखण्ड शासन, औद्योगिक विकास (खनन) अनुभाग-1 के पत्र संख्या 2119/VII-A-1/2025-09(104)/2023 दिनांक 27 अगस्त, 2025 के माध्यम से मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा मूल आवेदन सं0 78/2023 दुर्गा सिंह पंवार बनाम राजेन्द्र सिंह दफौटी व अन्य में पारित आदेश दिनांक 08.11.2024 के समादर में राज्य अन्तर्गत स्वस्थानों (In-situ) चट्टानों पर आधारित स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्रों के Slope Stability Analysis के अध्ययन कार्य हेतु भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) रुड़की के पत्र दिनांक 08.08.2025 द्वारा सुझाये गये मानक व मापदण्ड को Expression of Interest के माध्यम से प्रदर्शित करते हुए Slope Stability Analysis का कार्य करने वाले निजी फर्म/कम्पनी/इकाईयों को तदनुसार उक्त मानकों/मापदण्डों के अनुसार कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में सूचीबद्ध किये जाने हेतु दिये गये निर्देशों के अनुपालन में राज्य अन्तर्गत स्वस्थानों (In-situ) चट्टानों पर आधारित स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्रों के Slope Stability Analysis के अध्ययन कार्य हेतु निम्नलिखित कम्पनियों को सूचीबद्ध (Empanelment) किया गया है:-

क्र0सं0	फर्म/कम्पनी का नाम	दूरभाष नम्बर	ई-मेल आईडी0
01	Safe Mine Tech Solutions (I) Private Limited, C-635, Khaturia Colony, Bikaner, Rajasthan	7627097188	info@safemintech.in
02	Geo Environmental Solutions 3 rd Floor, JMD Regent Arcade Mall, A-Block, DLF phase -1, Sector- 28, Gurugram, Haryana, 122002	8826173376 9910046626	admin@geoes.in
03	SPA GEO TECHNOLOGIES PVT LTD, 8A Mahaluxmi Metro Tower, C2, Sector 4, Vaishali, Ghaziabad, Uttar-Pradesh, 201010	9910711900 9837721426	gangdas@spageo.co.in

अतः उपरोक्त सूचीबद्ध (Empanelment) कम्पनियों के माध्यम से अपने पक्ष में स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्र की Slope Stability Analysis का कार्य सम्पन्न कराने उपरान्त अध्ययन आख्या को भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) रुड़की से Review/Vett कराते हुए निर्धारित समयान्तर्गत निदेशालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

संलग्न- उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(अनिल कुमार)
 अपर निदेशक,
 कृते निदेशक।




2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
3. समस्त जिला खान अधिकारी, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उत्तराखण्ड को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अपने-अपने जनपद अन्तर्गत स्वस्थानें (In-situ) चट्टानों पर आधारित स्वीकृत खनन पट्टों के पट्टाधारकों को Slope Stability Analysis के अध्ययन कार्य कराये जाने हेतु सूचित करना सुनिश्चित करें।
4. प्रभारी अधिकारी आई0टी0 सैल को इस निर्देश के साथ प्रेषित राज्य अन्तर्गत स्वस्थानें (In-situ) चट्टानों के समस्त पट्टाधारकों को उक्त के सम्बन्ध में ई-मेल के माध्यम से सूचित करना सुनिश्चित करें।

(अनिल कुमार)
अपर निदेशक,
कृते निदेशक।




Handwritten signature

Annexure - K



NOTARY
P. S. PARIHAR
DISTT. BAGESHWAR
REG NO. 412
2003
GOVT U.K (INDIA)

Handwritten signature



NOTARY (INDIA)
P. S. PARIKHAR
DISTT. BAGELSHWAR
REG. NO. 412
2003
GOVT. U.K.

Handwritten signature



NOTARY
P. S. PARIKHA
DIST. BAGESHWAR
REG. NO. 412
2003
GOVT U.K. (INDIA)

Handwritten signature